प्रकाशन का 43 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

ई – पेपर

www.facebook.com/shailshamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 43 अंक – 38 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पर्जीकरण एच. पी./93/एस एम एल Valid upto 31-12-2020 सोमवार 17 – 24 सितम्बर 2018 मूल्य पांच रूपए

बरागटा बने सरकारी मुख्य सचेतक मन्त्री के बराबर पायेंगे वेतन भत्ते

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री एवम भाजपा विधायक दल के नेता जय राम ठाकुर द्वारा नरेन्द्र बरागटा को भाजपा दल का मुख्य सचेतक नियुक्त करने के आश्य का पत्र प्राप्त होने के बाद विधानसभा सचिवालय ने इस नियुक्ति को मान्यता देते हुये इस आश्य की अधिसूचना जारी कर दी है। सचिव विधानसभा की ओर से

जारी अधिसूचना में कहा गया है कि बरागटा को सरकारी मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया है। इस अधिसूचना से यह सदेश जाता है कि संभवत: सचेतक एक सरकारी पद है जिसे इस तरह से भरा गया है। स्मरणीय है कि बजट सत्र के अन्तिम दिन जयराम ठाकुर की सरकार सदन में एक विधेयक लायी थी जिसमें मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक को वेतन-भते एवम् अन्य सुविधायें मंत्री के समकक्ष मिलेंगी। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद यह विधेयक कानून बन गया है और इसके तहत यह पहली नियुक्ति सामने आयी है। इसके बाद दूसरी नियुक्ति कब किसकी आती है यह आन वाला समय ही बतायेगा। मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक को मन्त्री के समकक्ष दर्जा देकर क्या इन्हें सचिवालय में दफ्तर दिया जायेगा या विधानसभा मे इसकी व्यवस्था की जायेगी यह भी आने वाले समय में ही स्पष्ट हो पायेगा। मुख्य सचेतक को सरकार क्या काम देती है यह भी आगे ही पता चलेगा।

कानून के जानकारों के मुताबिक सचेतकों की भूमिका संसदीय सचिवों से भी कम है। दूसरे शब्दों में संसदीय सचिवों को तो यह अधिकार रहता है कि वह संबधित मंत्री को विधायी कार्यों में राय दे सकते हैं। जबकि सचेतक न तो मंत्री से संवद्ध होगा न ही किसी विधायी कार्य में उसकी कोई भी भूमिका होगी। ऐसे में सरकारी मुख्य सचेतक के रूप में अधिसूचना जारी होना अपने में ही प्रश्नवाचक हो जाती है क्योंकि **''सरकारी सचेतक''** के नाम से सरकार में कोई पद ही सृजित नही है और शायद न ही हो सकता है।

इस परिदृश्य में यह समझना आवश्यक हो जाता है कि सचेतक का संस्थान है क्या। भारत में सचेतक की प्रथा ब्रिटिश शासन से ली गई है। उसमें इसे इस तरह परिभाषित किया गया है Every major political party appoints a whip who is responsible for the party's disciplineand behaviour on the floor of the house. Usually, he / she directs the party members to stick to the party's stand on certain issuesand directs them to vote as per the directions of the senior party members .

संसद में 1998 में सचेतक को लेकर चर्चा आयी थी और 1999 में विधेयक लाया गया तथा पारित हुआ जिसे 2000 में राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। लेकिन संसद द्वारा पारित विधेयक में इन्हें मंत्री के समकक्ष नही रखा गया है। संसद में किस उद्देश्य के लिये यह विधेयक लाया गया था और उन्हे क्या क्या सुविधायें प्राप्त है वह इस प्रकार हैं THE LEADERS AND CHIEF WHIPS OF RECOGNISED PARTIES ANDGROUPS IN PARLIAMENT (FACILITIES) ACT, 1998 (No. 5 of 1999)

(As amended by Act No. 18 of 2000) [7th January, 1999]

An Act to provide for facilities to Leaders and Chief Whips of recognised parties and groups in Parliament. Be it enacted by Parliament in the Forty-ninth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title and commencement. — (1) This Act may be called the Leaders and Chief Whips of Recognised Parties and Groups in Parliament (Facilities) Act, 1998. (2)) It shall be deemed to have come into force on the 5th day of February, 1999".

2. In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) ''recognised group" means,— (i) in relation to the Council of States, every party which has a strength of not less than fifteen members and not more than twenty-four members in the Council;

(ii) in relation to the House of the People, every party which has a strength of not less than thirty members and not more than fifty-four members in the House.

(b) "recognised party" means,— (i) in relation to the Council of States, every party which has a strength of not less than twenty-five members in the Council; (ii) in relation to the House of the People, every party which has a strength of not less than fifty-five members in the House.

*3. Facilities to the Leaders and Chief Whips of recognised groups and parties.—Subject to any rules made in this behalf by the Central Government, each leader, deputy leader and each Chief Whip of a recognised group and a recognised party shall be entitled to telephone and secretarial facilities: Provided that such facilities shall not be provided to such leader, deputy leader or Chief Whip, as the case may be, who— (i) holds an office of Minister as defined in section 2 of the Salaries and Allowances of Ministers Act, 1952; or (ii) holds an office of the Leader of the Opposition as defined in section 2 of the Salary and Allowances of Leaders of Opposition in Parliament Act, 1977; or (iii) is entitled to similar telephone and secretarial facilities by virtue of holding any office of, or representation in, a Parliamentary Committee or other Committee, Council, Board, Commission or other body set up by the Government; or (iv) is entitled to similar telephone and secretarial facilities provided to him in any other capacity by the Government or a local authority or Corporation owned or controlled by the Government or any local authority.

सचेतक की परिभाषा और संसद द्वारा पारित किये गये विधेयक से यह स्पष्ट हो जाता है कि सचेतक न तो कोई सरकारी कार्य और न ही विधानसभा का ही अधिकारिक कार्य करेगा। सचेतक की भूमिका तो केवल विधानसभा सत्र के दौरान अपने ही विधायक दल के प्रति रहेगी। सत्र के बाहर सचेतक की कोई भूमिका नही रहती है। सदन में सत्र के दौरान किसी भी विधेयक या अन्य मुद्दे पर

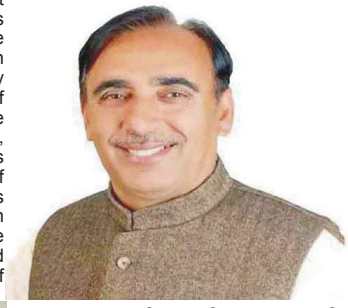

जिसमें सदन के भीतर मतदान होना हो उसमें सचेतक जारी करके अपने दल के विधायकों को सदन के नेता की ईच्छानुसार मतदान करने के लिये बाध्य किया जा सकता है। सचेतक जारी होने के बाद भी यदि कोई सदस्य सदन के नेता की ईच्छानुसार वोट नही करता है तब सचेतक की उल्लंघना पर संबंधित सदस्य के खिलाफअनुंशासनात्मक कारवाई की जा सकती है यदि सदन का नेता चाहे तो। सदन के हर दल को अपना अपना सचेतक नियुक्त करने का अधिकार रहता है।

इस नियुक्ति के बाद यह बहस अवश्य उठेगी कि क्या सचेतक लाभ के पद के दायरे में आता है या नहीं। क्योंकि जब सचेतक की भूमिका उसके अपने दल से बाहर है ही नही तो फिर उसे सरकारी कोष से वेतन-भते और अन्य सुविधायें कैसे दी जा सकती हैं। जब यह विधेयक सदन मे आया था तब कांग्रेस ने इसका विरोध किया था। अब जब इसमें पहली नियुक्ति भी हो गयी है तब क्या कांग्रेस इसे उच्च न्यायालय में चुनौति देगी या नही। यह कांग्रेस की नीयत और नीति को लेकर एक बड़ा सवाल रहेगा। भाजपा के भीतर भी इस नियुक्ति के बाद किस तरह के समीकरण बनते बिगड़ते हैं और उनका आने वाले लोक सभा चुनावों पर क्या असर पड़ेगा यह देखना भी दिलचस्प होगा।

(हिमाचल प्रदेश सरकार के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा)

हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

अधिसूचना

सं०-वि०स०-विधायन- सचेतक/1-18/2018 दिनांक, 22-09-2018

भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता ने अपने पत्र संख्या: पी०पी०एस०/सी०एम०/सी०डब्लू०/1/2018 दिनांक 22-09-2018 के सूचित किया है कि उन्होंने श्री नरेन्द्र बरागटा, सदस्य, हिमाचल प्रदेश विधान सभा को सरकारी मुख्य सचेतक नियुक्त किया है।

अतः माननीय अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश विधान सभा श्री नरेन्द्र बरागटा, सदस्य, हिमाचल प्रदेश विधान सभा (हिमाचल प्रदेश विधान सभा मुख्य सचेतक और उप सचेतक का वेतन, भत्ते और अन्य प्रसुविधाएं विधेयक, 2018) 2018 के विधेयक संख्यांक 7 में दिये गये स्पष्टीकरण के अन्तर्गत सरकारी मुख्य सचेतक के पद पर मान्यता प्रदान करते है।

(यशपाल शर्मा),

राज्य के निजी विश्वविद्यालय भी अपनाएंगे शून्य लागत प्राकृतिक कृषि

शिमला/शैल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत के आह्वान पर प्रदेश में स्थापित निजी विश्वविद्यालय भी शून्य लागत प्राकृतिक कृषि के म डल को अपनाकर यहां अध्ययनरत विद्यार्थियों को कृषि की इस पद्धति के लिए तैयार करने के साथ-साथ इस कृषि पद्धति को व्यपाक स्तर पर प्रोत्साहन देंगे। राज्य में पहली बार इस दिशा में हिमाचल प्रदेश निजी शैक्षिक संस्थान विनियामक आयोग के प्रयासों से चार निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ राजभवन शिमला में आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने की।

बैठक में अभिलाषी विश्वविद्यालय, मण्डी के कुलपति डॉ. ए.एस. गुलेरिया, बद्दी विश्वविद्यालय के डीन ब्रिगेडियर सुभाष कटोच, आई.ई.सी. विश्वविद्यालय, बद्दी के कुलपति डॉ. नवीन गुप्ता, अर्नी विश्वविद्यालय के कुलपति ब्रिगेडियर संसार वर्मा तथा हिमाचल प्रदेश निजी शैक्षिक संस्थान विनियामक आयोग के सदस्य डॉ. एस.पी. कटयाल उपस्थित थे।

इस अवसर पर, राज्यपाल ने कहा कि कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर, बागवानी विश्वविद्यालय, नौणी तथा गुरुकुल कुरुक्षेत्र के कृषि फॉर्म की ताजा रिपोर्ट से यह निष्कर्ष सामने आया है कि प्राकृतिक कृषि, जो भारतीय नस्ल की गाय पर आधारित है, को अपनाने से जमीन का आर्गेनिक कार्बन बढ़ा है और मित्र जीवाणुओं की अत्यधिक संख्या का अनुमान लगाना मुश्किल है। उन्होंने जानकारी दी कि प्राकृतिक कृषि को अपनाने से गुरुकुल कुरुक्षेत्र के कृषि फॉर्म में आर्गेनिक कार्बन की मात्र प्रति एकड़ .9 पहुंच गई है जो पहले .3 थी। इसके अतिरिक्त, यहां 25 से 30 क्विंटल धान की खेती प्रति एकड़ ली जा रही है। कृषि वैज्ञानिक भी इस परिवर्तन से हैरान हैं।

उन्होंने आध्रप्रदेश के गुन्टूर में 'इंटलैक्ट कन्सोरटियम' द्वारा जी.आई. ज़ैड, इण्डिया पर किए गए अध्ययन का जिक्र करते हुए कहा कि मिर्च व कपास पर किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि प्रति एकड़ पर रसायनिक खेती से किसानों को 50 हजार रुपये की फसल प्राप्त हुई, जबकि जैविक तौर पर की गई खेती से 68 हजार रुपये और प्राकृतिक कृषि से 96 हजार रुपये प्रति एकड़ की खेती की गई। यह रिपोर्ट शून्य लागत प्राकृतिक कृषि पद्धति के फायदे को स्वयं बयां करती है। उन्होंने कहा कि यदि निजी विश्वविद्यालय, जो कृषि विभाग का संचालन भी कर रहे हैं, इस दिशा में आगे आते हैं तो शुरूआती दौर में ही विद्यार्थियों को इस पद्धति से जोड़ने पर अच्छे परिणाम सामने आएंगे।

राज्यपाल ने कुलपतियों के आग्रह पर उन्हें भारतीय नस्ल की गाय उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया तथा परामर्श दिया कि वे अपने विशेषज्ञों को प्राकृतिक कृषि संबंधी जानकारी के लिए गुरुकुल कुरुक्षेत्र भेज सकते हैं। इसे आधार बनाकर वे अपने-अपने विश्वविद्यालयों में कार्य कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा इस दिशा में व्यापक स्तर पर कार्य किया जा रहा है और प्रदेश भर में ग्राम स्तर तक शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इस महत्वपूर्ण कार्य में न केवल किसान बल्कि एन.सी.सी, एन.एस.एस और कॉलेज के विद्यार्थियों को भी संबद्ध किया जा रहा है ताकि ग्रामीण परिवेश से आने वाले विद्यार्थी भी इसका प्रचार कर सकें।

राज्यपाल ने इस अवसर पर उन्हें शून्य लागत प्राकृतिक कृषि संबंधी विस्तृत जानकारी दी और इसके फायदे से उन्हें अवगत करवाया। बैठक में कुलपतियों ने इस पद्धति को अपनाने के प्रति काफी उत्साह दिखाया और इस मिशन में शामिल होने की इच्छा जाहिर की।

हि.प्र. के डिजिटल राजपत्र का प्रमोचन

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के डिजिटल राजपत्र (1953-2007) का प्रमोचन किया। यह पहल हिमाचल प्रदेश सचिवालय पुस्तकालय द्वारा की गई है। वर्ष 1953 से 2007 तक मुद्रित राजपत्रों को हिमाचल प्रदेश सचिवालय पुस्तकालय द्वारा उनको सार्वजनिक क्षेत्र में ऑनलाइन डालने के लिए अल्पावधि में डिजिटलीकृत और अनुक्रमित किया गया है। राजपत्र मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा तैयार किए गए है और वर्ष, 2007 से राजपत्र विभाग द्वारा पहले ही ऑनलाइन प्रकाशित किए जा रहे हैं।

अब, हिमाचल प्रदेश के राजपत्र वर्ष, 1953 से आज तक हिमाचल राज्य राजपत्र पोर्टल (ई-राजपत्र) http://rajpatrhimachal.nic.in पर ऑनलाइन उपलब्ध है तथा समस्त स्टैकहोल्डर और जन साधारण को उनकी सुविधानुसार ऑनलाइन उपलब्ध है। इस प्रकार ऑनलाइन समस्त राजपत्रों को उपलब्ध करवाने वाला हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य है। हिमाचल प्रदेश दैनिक आधार पर ऑनलाइन राजपत्र प्रकाशित करने वाला वर्ष 2007 में भी प्रथम राज्य था।

HIMACHAL PRADESH PUBLIC WORKS DEPARTMENT
e-Procurement Notice
INVITATION FOR BIDS (IFB)

The Executive Engineer HP PWD Kasauli Distt. Solan HP on behalf of Governor of HP invites the online bids on item rate, in electronic tendering system,in 2 cover system for the under mentioned work from the eligible and approved contractors.Firms registered with HPPWD Department.

Sr.No.	Name of Work	Tantative Cost	Earnest Money	Time Allowed	Cost of Form
1.	S/R to Banalgi Chandi Bhat Ki Hatti road in Km 0/0 to 12/300 (SH:- C/O PCC R/wall at RD 7/400 to 7/430 and 7/430 to 7/450).	10,43,615	20,900-	Two Month	500/-

1. AVAILABILITY OF BID DOCUMENT AND MODE OF SUBMISSION:
2. The Bid document is available online and bid should be submitted in online mode on website https://hptenders.gov.in. Bidder would be requird to register in the web-site which is free of cost. For submission of bids, the bidder is required to have Digital Signature Certificate (DSC) from one of the authorized certifying authorities (CA) "Aspiring bidders who have not obtained the user ID and pass-word for participating in e-tendering in HPPWD may obtain the same from the website: https://hptenders.gov.in. Digital signature is mandatory to participate in the e-tendering. Bidders already possessing the digital signature issued from authorized CAs can use the same in this tender.

2 . Key dates.

1. Date of Online Publication	26-09-2018	at 10.30 AM
2. Document Download Start Date	26-09-2018	at 11.00 AM
3. Bid Submission Start and End Date	26-09-2018 to 14-10-2018	at 11.00 A.M at 4.00PM
4. Physical Submission of EMD and cost of tender Document	15-10-2018	at 10.30 AM
5. Date of Opening of technical/ financial Bid	15-10-2018	at 11.00 AM

3. TENDER DETAILS:
i) The tender Document shall be uploaded online in 2 cover:Cover 1: shall contain scanned copies of all" Technical Doucments/Eligibility information"
ii) Cover 2: Shall contain "BOQ/Financial Bid", where contractor will quote his offer for each item.
iii) **SUBMISSION OF ORGINAL DOCUMENTS:** The bidder are required to submit
(a) original demand draft towards the cost of bid document and
(b) original bid security/Earnest Money Deposit (EMD) and other Technical Document in O/o Executive Engineer HPPWD Kasauli H.P. as specified in Key dates Sr. No. 2 on tender opening date, failing which the bids will be declared Non-responsive
You are also required to comply with the instruction regarding implementation of Employees Provident Fund and misc. Provision act 1952 failing which no payment will be released to you.
The material used during execution of works by you should be from the approved source duly authorized as per instruction issued by the mining Department in para 1 to 4 vide Govt. Notification No. 5-49/79 (Khand) (GLG) vol-III-100955 dated 16-12-2016, other wise no payment will be released to you
iv) **BID OPENING DETAILS:** The bids shall be opened on 15-10-2018 11.00 AM AM in the **office Executive Engineer Kaauli Division HP.PWD Kasauli HP.** by the authorised officer. In their interest the tenderer are advised to be present along with original documents at the time of opening of tenders. If the office happens to be colsed on the date of opening of the bids as specified, the bids will be opened on the next working day at the same time and venue.
v) The bids for the work shall remain valid for acceptance for a period not less than 90/120 days after the deadline date for bid submission.
vi) Other details can be seen in the bidding documents. The officer inviting tender shall not be held liable for any delays due to system failure beyond its control. Even though the system will attempt to notify the bidders of any bid updates, the Employer shall not be liable for any infoarmion not received by the bidder. It is the bidders' responsibility to verify the website for the latest information related to the tender.

Adv. No.-2466/18-1 9 HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK

HIMACHAL PRADESHPUBLIC WORKS DEPARTMENT
E-Procurement Notice
INVITATION FOR BIDS (IFB)

1. The Executive Engineer Mandi Division No.II HPPWD Mandi H.P on behalf of Governor of H.P invites the online bids on item rate in electronic tendering system in 2 cover system for the following works from the eligible and approved contractors/Firms registered with HPPWD department.

Sr.No.	Nameof work	Estimated Cost (In Rs.)	Earnest Money	Cost of tender form	Eligible class of Contractor	Time Limit
1.	A.M.P for the year 2018-19 on Motipur Dhamyana road DRRP No. HP0805MRL085. (SH: Providing and laying Bituminous Concrete in Km. 6/0 to 7/0 and 8/0 to 10/0) PMGSY.	2688140/-	47900/-	1500/-	D to A	One Month
2.	A.M.P for the year 2018-19 on Anna Kanchi Kusmul road DRRP No. HP0810VR0120 (SH: Providing and laying Bituminous concrete in Km. 4/0 to 7/0) PMGSY	2688140	47900	1500	D to A	One month

2. **Availability of Bid Document and mode of submission:** The bid document is available online and bid should be submitted online on website http://hptenders.gov.inbidder would be required to register in the website which is free of cost. For submission of bids, the bidder is required to have Digital Signature Certificate (DSC) from one of the authorized Certifying Authorities (CA). "Aspiring bidders who have not obtained the user ID and password for participating in e-tendering in HPPWD may obtain the same from the website: http://hptenders.gov.in Digital signature is mandatory to participate in the e-tendering. Bidders already possessing the digital signature issued from authorized CAs can use the same in this tender.

3. Key dates:-

1 Date of online publication	26.9.2018 at 5.00 pm
2 Document download and end date	26.9.2018 at 5.30pm up to 10.10.2018 at 10.45 am
3 Bid submission start and end date	26.9.2018 at 5.30pm up to 10.10.2018 at 10.45 am
4 Date of technical bid opening	10.10.2018 at 11.30 AM
5 Physical submission of original documents i/c original EMD & cost of tender documents etc	Upto 10.10.2018 at 10.45 am

4. Tender Details:-
The tender documents shall be uploaded on line in 2 cover.
i) **Cover 1:** shall contain scanned copies of all **"Technical Documents eligibility"** information
ii) **Cover 2:** shall contain **"BOQ/Financial bid"** where contractor will quote his offer for each item
5. Submission of Original Documents: The bidders are required to submit (a) original demand draft towards the cost of bid document and (b) original bid security/Earnest money Deposit (EMD) and other Technical Documents with this office as specified in key dates at Sr.No.5.failing which the bids will be declared nonresponsive.
6. Bid opening Detail: The bid shall be opened on 10.10.2018 at 11.30 HRs in the office of Executive Engineer Mandi Division No.II HP.PWD Mandi. If the office happens to be closed on the date of opening of the bid as specified the bid will be opened on the next working day at the same time and venue.
7. The bid for the work shall remain valid for acceptance for a period not less than 120 days after the deadline date for bid submission.
8. Other details can be seen in the bidding documents. The officer inviting tender shall not be held liable for any delays due to system failure beyond its control. Even though the system will attempt to notify the bidders of any bid updates, the Employer shall not be liable for any information not received by the bidder. It is the bidders' responsibility to verify the website for the latest information related to the tender.

Adv. No.-2409 /18-19 HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK

HIMACHAL PRADESH PUBLIC WORKS DEPARTMENT
TENDER

Sealed item rate tenders on the form 6&8 are invited by the **Executive Engineer Fatehpur Division HPPWD.,** Fatehpur on behalf of the Governor of HP for the following works from the approved and eligible contractors enlisted in HPPWD.

TENDER SCHEDULE:

1.	Date and time of receipt of application for tender form:	29.10.2018upto2.00 PM
2.	Date and time of issue of tender form:	30.10.2018upto 5.00 PM
3.	Date and time of receipt of tenders:	31.10.2018upto 10.30AM
4.	Date and time of opening of tenders:	31.10.2018 at 11.00 AM

The tenders form will be issued against cash payment (non refundable). The earnest money in the shape of NSC/FDR/Deposit at call of any of Post Office/Bank in H.P duly pledged in the name of the Executive Engineer, Fatehpur Division HPPWD Fatehpurmust accompany with each tender.

Sr.No.	Name of Work	Estimated Cost	EMD	Time limit	Cost of Form	Eligible class of Contractor
1.	Special Repair estimate to Degree College Building at Indora (SH:- White washing, painting and distempering)	116974/-	2400/-	One month	350/-	Class D&C
2.	Special Repair to Health Sub Centre at MangwalKotla (SH:- Providing and laying masonry work, wood work, painting, plas-tering and Sanitary work) (Deposit work)	92751/-	1900/-	One month	350/-	-do-
3.	Construction of Jeepable road from Darshan Singh house to Jagdev Singh house HarijanBastiDugh Ward No.3 TappaPanchayat (SH:- Construction of ce-ment concrete pavement at R.D. 0/0 to 0/ 129.75) Deposit work.	159958/-	3200/-	One month	350/-	-do-
4.	Restoration of rain damages on Houri Devi BanharLatwalReing road km. 0/0 to 4/300 (SH:- Construction of Retaining wall at R.D. 0/045 to 0/060 Length = 15mtr. R/side).	369523/-	7400/-	One month	350/-	-do-

1.The contractors/firms should possess the following documents(Photocopy to be attached):
i) The contractor/Firms empaneled with MORTH are eligible to participate.
ii) PAN (Permanent Account No.)
iii) Registration under GST
2. Ambiguous/telegraphic/conditional tenders or tender by Fax/E-mail shall not be enter-tained /considered in any case.
3. The Executive Engineer reserves the right to reject/cancel any or all the tenders without assigning any reason(s).

Adv. No.2411/18-19 HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK

शैल समाचार संपादक मण्डल
संपादक - बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक - जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार - ऋचा
अन्य सहयोगी
भारती शर्मा
रजनीश शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना

भाजपा के प्रस्ताव में कांग्रेस की केवल रस्मी आलोचना

शिमला/शैल। प्रदेश भाजपा कार्यसमिति का दो दिन का सत्र राजनीतिक प्रस्ताव पास करके संपन्न हो गया है। इस प्रस्ताव में मोदी सरकार के महिमा मण्डन के अतिरिक्त कुछ भी नया सामने नही आया है। बल्कि एक तरह से प्रदेश कार्यसमिति के इस आयोजन को मोदी सरकार और उसकी नीतियों में विश्वास व्यक्त करने की ही कवायद करार देना ज्यादा संगत होगा। इस प्रस्ताव में प्रदेश कांग्रेस की गुटबाजी का तो जिक्र किया गया है। लेकिन प्रदेश में कांग्रेस की विकास नीति क्या और कैसी रही है और कांग्रेस प्रदेश को आर्थिक मोर्चे पर कहां छोड गयी है इसका कोई जिक्र इस प्रस्ताव में नही आया है। जबकि आने वाले चुनावों में कांग्रेस इसी मुद्दे पर सरकार को घेरेगी। भाजपा प्रस्ताव से ऐसा लगता है कि यह प्रस्ताव राजनेताओं की बजाये शायद सरकार के अधिकारियों द्वारा तैयार किया गया है।

यहां है प्रस्ताव –:

हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यसमिति का यह दृढ़ **मत** है कि मोदी सरकार की दूरदर्शी नीतियों, आतंकवाद व अलगाववाद पर सख्त निर्णयों, कुशल विदेश नीति और लोक कल्याण व विकासोन्मुखी योजनाओं से जहां भारत दुनिया में शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरा है वहीं देश में जनमानस का विश्वास सरकार के प्रति बढ़ा है।

कार्यसमिति का यह भी मानना है कि हिमाचल प्रदेश में भी जयराम सरकार ने अपने इस छोटे से कार्यकाल में प्रदेशहित व जनहित में अनेक निर्णय लेकर हिमाचल प्रदेश के सुनहरे भविष्य की नीव रख दी है।

देश की कमजोर, अपारदर्शी व पूर्णत: पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए मोदी सरकार ने देशहित में नोटबंदी, जीएसटी, दिवालियापन कानून व शोधन अक्षमता सहिता लागू कर भारतीय अर्थव्यवस्था में मूलभूत सुधार किए जिसके फलस्वरूप भारतीयअर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा अनुमानित 7.5 प्रतिशत जीडीपी ग्रोथ की वृद्धि दर के साथ दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत का हिस्सा लगातार बढ़ रहा है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार 2018 में भारत में विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की संभावना है।

हिमाचल प्रदेश में भी भाजपा सरकार का पहला बजट समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा करने व प्रदेश में चहुमुखी विकास को सुनिश्चित करने वाला साबित होगा। बजट में जनकल्याण व प्रदेश को नई दिशा देने के लिए 30 नई योजनाएं शुरू की गई जो हिमाचल प्रदेश को स्वर्णिम बनाने में कारगर सिद्ध होगी।

भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की दृष्टि से देश में कालाबाजारी व कालाधन रखने वालों की कमर तोड़ दी है। मई, 2014 के बाद देश में कोई घोटाला नहीं घटा। ऑनलाईन ट्रांजेक्शन व डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम भी भ्रष्टाचार रोकने हेतु उपयोगी सिद्ध हो रही है।

हिमाचल सरकार ने भी भ्रष्टाचार रोकने व माफिया राज मिटाने के लिए सख्त कदम उठाए हैं जिनकी प्रदेश कार्यसमिति सराहना करती है।

यह एक निर्विवाद सत्य है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने स्वच्छता को एक जनांदोलन बनाया और आज स्वच्छता जन मन का विषय बन चुका है। अक्तूबर, 2014 के बाद देश में 7 करोड़ 81 लाख शौचालयों का निर्माण किया गया और 417 जिलों ने स्वयं

को खुल में शौच मुक्त घोषित किया जिसे यह कार्यसमिति एक बड़ी सफलता मानती है। सस्ते व सर्वसुलभ ईलाज के लिए तो मोदी सरकार ने अनेक कदम उठाए ही परन्तु अब दुनिया की सबसे बड़ी योजना आयुष्मान भारत शुरू करके देश के 10 करोड़ गरीब परिवरों को प्रतिवर्ष स्वास्थ्य लाभ के लिए 5 लाख की राशि प्रदान की जाएगी जिससे लगभग 50 करोड़ की आबादी लाभान्वित होगी। इस अद्वितीय योजना को शुरू करने के लिए प्रदेश कार्यसमिति देश के स्वास्थ्य मंत्री और प्रधानमंत्री को बहुत–2 बधाई देती है।

वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से जहां केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना व प्रधानमंत्री सिचाई योजना शुरू करने व किसानों की पैदावार का लागत से डेढ़ गुना ज्यादा समर्थन मूल्य देने का निर्णय लिया वहीं प्रदेश सरकार ने जंगली जानवरों व बेसहरा पशुओं से फसलों को बचाने के लिए सौर ऊर्जा बाड़ लगाने में 85 प्रतिशत उपदान देने व गौ सदन निर्माण हेतु जमीन व धन उपलब्ध कराने जैसी उपयोगी कदम उठाए।

राष्ट्र निर्माण में युवाओं की अहम भूमिका समझते हुए हमारी सरकारों ने स्वरोजगार के माध्यम से युवाओं के समग्र विकास पर जोर दिया जिसके लिए जहां केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, मुद्रा योजना, स्टार्ट अप इंडिया और स्टैण्ड अप इंडिया जैसी योजनायें चला करोड़ों युवाओं को लाभ दिया वहीं प्रदेश सरकार ने कम ब्याज पर ऋण देने वाली मुख्यमंत्री स्वाबलम्बन योजना समेत अनेक योजनाएं शुरू की।

गरीबी उन्मूलन के लक्ष्य को लेकर मोदी सरकार ने उज्जवला व प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी 112 योजनायें चलाई जिनके फलस्वरूप देश के लगभग 22 करोड़ गरीब लोगों को लाभ मिला, जिनमे अधिकतर अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग से सम्बन्धित है। अन्य पिछड़ा आयोग वर्ग के गठन से भी इन वर्गों की समस्याओं का समाधान होगा। इसी तर्ज पर प्रदेश सरकार हिमाचल गृहणी सुविधा योजना व सामाजिक सुरक्षा पैंशन के अंतर्गत 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों की आय सीमा की शर्त हटाकर उनको 1300 पैंशन देने के निर्णय और अन्य योजनाओं के माध्यम से लगभग 3 लाख पात्र व्यक्तियों को फायदा पहुंचा चुकी है जिसकी यह कार्यसमिति प्रशंसा करती है।

हिमाचल सरकार ने प्रदेश में हैली टैकसी सेवा शुरू कर और रोप–वे निर्माण हेतु उचित कदम उठा पर्यटन विकास की दृष्टि से प्रशंसनीय कार्य कर रही है। मण्डी में कलस्टर विश्वविद्यालय शुरू करना और रूसा प्रणाली में वांछित संशोधन करना प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। जनमंच कार्यक्रम के माध्यम से जनससमयाओं का मौके पर समाधान कर मुख्मयंत्री व मंत्रीगण जन सेवा–नारायण सेवा के मूलमंत्र को चरितार्थ कर रहे हैं।

पहले भूतपूर्व सैनिकों के लिए वन रैंक वन पैंशन लागू कर और अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ौतरी कर प्रधानमंत्री महोदय ने अभूतपूर्व कार्य किया है। मोदी सरकार ने हिमाचल प्रदेश को एम्स, हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग कॉलेज, चार मेडिकल कॉलेज, पीजीआई के सैटेलाईट सेन्टर, आईआईएम, आईआईटी, 69 राष्ट्रीय उच्च मार्ग, 3 फोरलेन, 8 ओवरहैड ब्रिज, रेलवे विस्तार हेतु लगभग 500 करोड़ का बजट, शिमला व धर्मशाला को स्मार्ट सिटी व हिप्र को विशेष राज्य के दर्जे जैसी सौगातें तो पहले ही दे दी है और अब वर्तमान प्रदेश सरकार के प्रयासों से हिमाचल प्रदेश को एनडीआरएफ बटालियन स्वीकृत होना, बागवानों की दशा व दिशा बदलने वाले 1681 करोड़ के प्रोजैक्ट को स्वीकृत करना, वॉटर कंजरवेशन के प्रोजेक्ट हेतु 4751 करोड़ मंजूर करना व शिमला शहर के लिए पीने के पानी की समस्या के समाधान हेतु 791 करोड़ स्वीकृत होना, अनेक ऐसे विषय हैं जिनके लिए हिमाचल भाजपा केन्द्र सरकार का आभार प्रकट करती है।

भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि भाजपा सरकारों की उपलब्धियां देख कर कांग्रेस पार्टी के नेता बौखला गए हैं। बौखलाहट में तथ्यहीन व आधारहीन बयानबाजी कर राजनीति में नौसिखिये साबित हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में भी मुद्दाविहीन कांग्रेसी नेता आलोचना के लिए आलोचना करने की आदत से मजबूर तथ्यों के बिना सरकार की आलोचना करते रहते हैं।

हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी तो पहले से जगजाहिर है और अब उनकी प्रभारी आग में घी डालने का काम कर रही है। वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे कांग्रेसी नेता रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने में पूरी तरह से नाकाम सिद्ध हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संसद के अंदर व बाहर नाटकीय व्यवहार कर जनता के बीच हास्य के पात्र बन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के व्यक्तित्व व कृतत्व से घबरा कर सभी विपक्षी दल एक जुट होने का प्रयास कर रहे हैं। उनके पास सर्वमान्य नेता व नीति का अभाव है, सिर्फ एक ही उद्देश्य है मोदी रोको, परन्तु मोदी जी की लोकप्रियता जिस तरह से देश और दुनिया में बड़ी है और भारतीय जनता पार्टी का संगठन जिस तरह से बूथ स्तर तक मजबूत हुआ है, विपक्षी दल अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होंगे। हिमाचल भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यसमिति कार्यकर्ताओं से आहवान करती है कि वे आगामी लोकसभा चुनाव हेतु कमर कस लें, अपनी सरकारों की उपलब्धियों को जन–जन तक पहुंचायें, कांग्रेसी नेताओं के कुप्रचार का बखूबी जवाब दें, दिन–रात मेहनत कर पार्टी के कार्यक्रमों को सफल बनायें और फिर से चारों लोकसभा सीटें जीतने में अपनी अहम भूमिका अदा करें।

प्रस्ताव भाजपा प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने पेश किया और पार्टी के महासचिव राम कुमार ने इसका अनुमोदन किया।

आईजीएमसी में युवक की मौत पर मुख्यमंत्री से उच्च स्तरीय जांच की मांग

शिमला/शैल। आईजीएमसी शिमला में 10 सितम्बर को जुखाला के युवक वरुण ठाकुर की मौत के बाद स्थानीय लोगो में पनपा आक्रोश थमने का नाम नही ले रहा है । इस संद्धर्भ में स्थानीय लोगों ने जुखाला में पत्रकार वार्ता का आयोजन करके आरोप लगाते हुए कहा कि वरुण की मौत आईजीएमसी में तैनात चिकित्सकों की लापरवाही की वजह से हुई है जिसके बारे में उन्होंने जांच की मांग की थी। उन्होंने कहा कि आईजीएमसी संस्थान द्वारा जारी रिपोर्ट में चिकित्सकों का बचाव करते हुए यह कहा गया था कि वरुण की मौत दोनों किडनी फेल होने की वजह से हुई थी इस रिपोर्ट पर संसथान के प्रिंसिपल ने खुद संदेह जाहिर करते हुए कहा था की यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट सही है जिसके बाद दूसरी रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश जारी किये थे । स्थानीय लोगों ने कहा कि संस्थान के लोग चिकित्सक को बचाने के लिए गलत पोस्टमार्टम रिपोर्ट बना रहे है और उन्हें इस संस्थान पर अब विश्वास नही है। उक्त लोगों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग की है कि इस मामले की गहनता से जांच करने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी बनाई जाए ताकि सबके सामने सच्चाई आ सके। इसके साथ ही उन्होंने वरुण के सपेल और पोस्टमार्टम के दौरान हुई वीडियोग्राफी को पीजीआई चंडीगढ़ भेजने की मांग की है ताकि उन सैम्पलों और वीडियोग्राफी के अनुसार वहाँ से पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करवाई जाए ताकि हकीकत का सबको पता लग सके। उक्त लोगों ने बताया कि वरुण को आठ सितम्बर को पेट दर्द हुआ था जिसके बाद उसे आईजीएमसी शिमला ले गये थे जहाँ पर तैनात चिकित्सकों ने पीठ की बिमारी बता कर उसे घर भेज दिया लेकिन 9 सितम्बर को रात करीब तीन बजे दोबारा से उसके पेट में दर्द हुआ जिसके बाद उसे दुबारा आईजीएमसी शिमला पहुंचाया गया जिसके बाद सुबह करीब 5 बजे उसे आपातकाल में भर्ती किया गया । जहाँ पर तैनात चिकित्सक ने उसे सिटी स्कैन करवाने के लिए रिपन भेजा व अन्य टेस्ट आईजीएमसी शिमला में करवाए । जब रिपोर्ट आई तो उस चिकित्सक ने सीनियर चिकित्सक से सलाह लेने की राय दी जिसके बाद उसके भाई ने सीनियर चिकित्सक को उसकी स्थिति से अवगत करवाया परन्तु सीनियर चिकित्सक ने उन्हें उसे आकर देखने का आश्वासन दिया परन्तु 9 घंटे तक सीनियर चिकित्सक उसे देखने के लिए नही पहुंचे। इस बिच उसके साथ गये परिजन बार बार सीनियर चिकित्सक से उसे देखने का आग्रह करते रहे इस बीच वरुण के परिजनों के साथ वहां पर तैनात सुरक्षा कर्मी ने अभद्र व्यवहार किया। जिसके बाद रात करीब 9 बजे वरुण को तेज दर्द शुरू हुआ जिस पर चिकित्सक ने बाहर से पेन किल्लर इंजेक्शन मंगवाया जिसको लगाने के मात्र पांच मिनट बाद वरुण बेहोश हो गया और जब उसके भाई ने उसकी साँसे देखि तो वह थम चुकी थी और शरीर का रंग भी काला पड़ चूका था जिसके बाद चिकित्सक उसे ओपरेशन रूम में ले गये और परिजनों से सारी रिपोर्ट की फाइल ले ली । जिसके बाद कागजों में उसको भर्ती किया गया जबकि उसकी मृत्यु पहले ही हो चुकी थी । जिसके बाद चिकित्सकों ने उसके परिजनों को यह कहा कि वरुण को हार्ट अटैक आया जिससे इसकी मृत्यु हो गई। चिकित्सकों ने अपनी रिपोर्ट में उसे रात करीब साढ़े दस बजे मृत घोषित किया जबकि उसकी मृत्यु साढ़े 9 बजे हो चुकी थी। परिजनों का आरोप है कि वरुण का समय पर आईजीएमसी शिमला में सीनियर चिकित्सक द्वारा इलाज नही किया गया अगर सही समय पर सीनियर चिकित्सक उसे देख लेते तो शायद वरुण आज जीवित होता । उक्त लोगों ने कहा कि सीनियर चिकित्सक की इस लापरवाही को छिपाने के लिए अब आईजीएमसी शिमला संस्थान गलत पोस्टमार्टम रिपोर्ट बना रहा है जिस पर संस्थान के प्रिंसिपल खुद संदेह जाहिर कर चुके हैं कि यह रिपोर्ट सही नही है। उक्त लोगों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए ताकि भविष्य में किसी अन्य के साथ ऐसा न हो।

शासक को स्वयं योग्य बनकर योग्य प्रशासकों की सहायता से शासन करना चाहिए।.....चाणक्य

सम्पादकीय

भागवत जी यह प्रवचन है या स्पष्टीकरण या कूटनीति

अभी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने ''**भविष्य का भारत और संघ का दृष्टिकोण**'' नाम से एक आयोजन किया है। इस आयोजन में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने यह कहा है कि संघ में निरंकुशता और अंहकार नही है। इसी कड़ी में उन्होने यह भी स्पष्ट किया कि संघ की स्थापना हिन्दुओं को संगठित करने के लिये हुई है और भारत हिन्दु राष्ट्र है और रहेगा भी। फिर यह भी स्पष्ट किया कि मूल्यों पर आधारित जीवन जीने वाला और पाप न करने वाला हिन्दु है। भागवत ने यह भी माना कि भारत विविधताओं का देश है तथा विविधताओं का सम्मान होना चाहिये। देश की आजादी में कांग्रेस के योगदान को स्वीकारते हुए यह भी माना कि मुस्लमानों के बिना हिन्दुत्व का कोई अर्थ नही है। संघ प्रमुख ने जो कुछ कहा है क्या वह एक ईमानदारी पूर्ण सीधा ओर सरल स्पष्टीकरण है या यह एक राजनीतिक कुटलता है यह सवाल इस आयोजन के बाद हर विश्लेष्क के सामने खड़ा हो गया है। क्योंकि संघ का इस तरह का आयोजन पहली बार हुआ है और उसमें इस तरह का वक्तव्य आया है।

संघ अपने को एक गैर राजनीतिक संगठन मानता है लेकिन व्यवहार में संघ एक परिवार है जिसकी भाजपा एक राजनीतिक इकाई है और यह सभी जानते है कि इकाई कभी अपने मूल से अलग और बड़ी नही होती है। संघ के स्वयं सेवक भाजपा के सदस्य नहीं हो सकते ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है। इसी तरह भाजपा के सदस्य एक साथ संघ भाजपा के सदस्य हो सकते हैं। बल्कि इसी दोहरी सदस्यता के कारण 1980 में जनता पार्टी की सरकारी टूटी थी यह सभी जानते हैं आज भी भाजपा का हर स्तर का संगठन मन्त्री संघ का मनोनीत सदस्य होता है जो कि भाजपा और संघ के बीच संपर्क सूत्र का काम करता है। इसलिये इस सबको सामने रखते हुए यह नही स्वीकारा जा सकता कि संघ का कोई राजनीतिक मंतव्य नही हैं बल्कि यह कहना ज्यादा सही होगा कि भाजपा संघ की राजनीति का एक माध्यम है। यदि ऐसा निहित नही है तो फिर संघ को भाजपा के नाम से राजनीतिक इकाई स्थापित करने की आवश्यकता ही क्यों है। संघ का जो भी सांस्कृतिक मन्तव्य है क्या उसे राजनीतिक समर्थन के बिना प्राप्त किया जा सकता है। बल्कि क्या कोई भी संगठन राजनीतिक समर्थन के बिना काम कर सकता है और आगे बढ़ सकता है? शायद नही। इसलिये आज की परिस्थितियों की यह मांग है कि संघ परिवार अपने में जितना बड़ा संगठन है उसे सीधे स्पष्ट रूप से राजनीतिक भूमिका में आना चाहिये। हर व्यक्ति जानता है कि भाजपा सरकारो में संघ की स्वीकृति के बिना कोई बड़ा काम नही होता है इसलिये संघ को अपरोक्षता का लवादा उतार कर सीधे जिम्मेदारी स्वीकारनी चाहिये। यदि संघ ऐसा नही करता है तो इसका अर्थ यही होगा संघ भाजपा सरकार की असफलताओं को स्वीकारने का साहस नही जुटा पा रहा है। क्या संघ भी रामदेव की मानसिकता का अनुसरण करने जा रहा है।क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनावों रामदेव की जो सक्रिय भूमिका रही है उसे सभी जानते है लेकिन आज वही राम देव अपने को जब निर्दलीय और सर्वदलीय कहने पर आ गये हैं तो यह सीधा संदेश जाता है कि स्वामी रामदेव भी अब मोदी सरकार की असफलताओं को स्वीकारने से भागने का प्रयास कर रहे हैं।

आज संघ प्रमुख भागवत यह मान रहे हैं कि मुस्लमानों के बिना हिन्दुत्व संभव नही है क्योंकि हिन्दु तो वह है जो मूल्यों पर आधारित और पाप रहित जीवन जीता है। इस परिप्रेक्ष में पूरे विश्व में कौन व्यक्ति होगा जो पाप पूर्ण जीवन जीना चाहते हो। जीवन मूल्य तो देश – काल और उसकी परिस्थितियां बनाती हैं क्योंकि संसार में हर प्राणी के जन्म लेने और उसकी मृत्यु की प्रक्रिया तो एक जैसी ही है । संस्कारिक विविधता तो उसके बाद होती है जब यह सवाल आता है कि जन्म लेने के बाद उसका पालन पोषण कैसे करना है और मृत्यु के बाद उसके मृत शरीर का क्या करना है। फिर पाप और अपराध में केवल इतना ही अन्तर है कि अपराध की सजा देने के लिये स्थापित कानून है और पाप आपके अपने मन बुद्धि का विवके है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वभाविक है कि जब संघ यह मान रहा है कि मुस्लमानों के बिना हिन्दुत्व संभव नही है तो क्या इस बार चुनावों में संघ की राजनीतिक ईकाई भाजपा मुस्लमानों को टिकट देगी या फिर इस प्रवचन के बावजूद 2014 और उत्तर प्रदेश ही दोहराया जायेगा। क्या इस प्रवचन के बाद लव जिहाद और भीड़ हिंसा पर प्रतिबन्द लग पायेगा।

आज जो प्रवचन रूपी अपरोक्ष स्पष्टीकरण संघ का आया है उसमें संघ प्रमुख ने मंहगाई बेरोजगारी और भ्रष्टाचार पर कुछ भी क्यों नही बोला? इस समय तेल की बढ़ती कीमतों तथा रूपये के अवमूल्यन से सारी अर्थव्यवस्था संकट में आ खड़ी हुई है। नोटबंदी सबसे घातक फैसला सिद्ध हुआ है। यह सब आज के ज्लवन्त मुद्दे बने हुए हैं। लेकिन संघ प्रमुख का इन मुद्दों पर मौन रहना क्या अपने में सवाल नही खड़े करता। क्योंकि अभी से चुनावी महौल बनता जा रहा हैं ऐसे में इस संघ का यह प्रवचन रूपी स्पष्टीकरण कूटनीति नही माना जायेगा? आज जिस ढंग से राहूल के मन्दिर जाने और मानसरोवर यात्रा पर भाजपा/संघ के लोगों की प्रतिक्रियाएं रही हैं क्या उनके परिप्रेक्ष में संघ प्रमुख को इस पर कुछ कहना नही चाहिये था। क्या राहूल गांधी को लेकर आयी प्रतिक्रियाएं किसी भी अर्थ में विविधता का सम्मान कही जा सकती हैं।

नशाबंदी पर प्रतिबंध को अम्लीजामा पहनाने की जरूरत

– संसार राणा –

प्रत्येक मनुष्य के भीतर भिन्न – भिन्न अपनी कुछ अभिलाषाएं होती हैं पर साधारणतया प्रत्येक मनुष्य में यह अभिलाषा जरूर होती है कि उसका जीवन सुख में बीते। सुखी जीवन व्यतीत करने के लिए उसे कई पदार्थों की आवश्यकता होती है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु हर जगह तथा हर क्षेत्र में गला – काट प्रतियोगिता से सामना होने के चलते भाग – दौड़ आज जिंदगी का अंग बन चुका है तथा एकल परिवार प्रणाली एक आवश्यकता। उपभोक्तावादी तथा बाजारवादी संस्कृति के बढ़ते प्रभाव में आकर मां – बाप का नौकरी – धंधो, शौहरत और रूतबे के लिए भागते रहना उनके तथा बच्चों के बीच संवादहीनता की एक गहरी खाई खोदता जा रहा है। जहां मां – बाप थकावट तथा परेशानियों से अस्थाई राहत पाने के लिए नशीले पदार्थों का सहारा लेते हैं वहीं बच्चे उनका अनुकरण करते हुए तथा अकेलेपन में नकारात्मक विचारों से घिर जाने के कारण नशे के पदार्थों का सेवन करना शुरू कर देते हैं। परिणाम यह है कि आज चारों तरफ धीरे – धीरे नशीले पदार्थों जैसे शराब, बीड़ी, सिगरेट, गुटखे, खैनी, जर्दे आदि का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। कई प्रदेश सरकारों द्वारा कुछ नशे के पदार्थों जैसे खैनी, गुटखा, जर्दा, शराब इत्यादि पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद चोरी – छिपे उनका व्यापार तथा उपभोग बदसतूर जारी है तथा समस्या महामारी का रूप लेती प्रतीत होती है। यहां मर्ज बढ़ता ही गया ज्यों – ज्यों दवा की वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। खतरनाक बात तो यह है कि अब परंपरागत नशे के स्थान पर रसायनों से संप्लेशित नशीले पदार्थों का अवैध कारोबार दिनों – दिन फैलता जा रहा है। हिमाचल प्रदेश जैसा शांतिप्रिय तथा स्वच्छ वातावरण वाला प्रदेश भी इस महामारी से अछूता नहीं रह गया है। प्रदेश के दूर – दराज के क्षेत्रों की अन्य राज्यों के साथ लगती सीमाओं को नशे के काले कारोबार के लिए चोर रास्ते के तौर पर प्रयोग किया जा रहा है। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब कहीं न कहीं से नशे की बड़ी खेप पकड़े जाने की खबर न आती हो। प्रदेश में नशे की समस्या का प्रभाव शहरों व कस्बों से लेकर गांव तक समान रूप में देखने को मिल रहा है तथा बच्चे व युवा इसका सबसे बड़ा शिकार बन रहे है।

वर्ष 2013 में एक सामाजिक संस्था के लिए हमीरपुर जिला के विभिन्न शैक्षिक संस्थानों में पढ़ रहे छात्र – छात्राओं के बीच 'नशा – स्वास्थ्य एवं युवा पीढ़ी' विषय पर सर्वेक्षण करके एक अध्ययन किया गया था जिसमें यह बात सामने आई थी कि 12 प्रतिशत छात्र – छात्राएं किसी न किसी प्रकार का नशा कर रहे थे हालांकि उनमें से 45 प्रतिशत नशा छोड़ना भी चाहते थे। छात्रों ने परेशानी, कुंठा, फिल्मी दृश्यों तथा सामाजिक माहौल को नशे की लत का शिकार बनने के लिए जिम्मेवार माना था तथा सुझाया था कि नशों का व्यापार करने वाले व्यक्तियों, कंपनियों, दुकानों तथा नशीले पदार्थों का उत्पादन करने वाले कारखानों पर नकेल कसी जानी चाहिए। हिमाचल के युवाओं को नशे की घुटी कौन पिला रहा है, सबसे पहले यह समझने की जरूरत है। नशा माफिया के निशाने पर ज्यादातर शैक्षिक संस्थान ही हैं। इस सबसे ऊपर सच्चाई यह है कि सही देखभाल व प्यार का अभाव, पढ़ाई का बोझ व तनाव, भविष्य की अनिश्चितताएं, दोस्तों का दबाव, बेरोजगारी, शिक्षा के क्षेत्र में असफलताएं, अवसाद, आपसी संबंधों में विश्वास तथा स्नेह का अभाव ऐसे मुख्य कारण हैं जो हमारे युवाओं को नशे के सौदागरों के लिए आसान टारगेट बनाते हैं। हिमाचल के युवा उच्च शिक्षा पाने और रोजगार की तलाश में अन्य प्रदेशों की ओर रूख करते हैं। आंखों में बड़े सपने पाले, शरीर में नई उर्जा से लबालब तथा मेहनत में विश्वास रखने वाले हिमाचल के ऐसे ज्यादातर युवा नशेड़ी लोगों तथा नशे के काले कारोबार में संलिप्त असामाजिक तत्वों के संपर्क में आकर नशे के दलदल में फस जाते हैं। मां – बाप को तब पता चलता है जब बच्चे इस कीचड़ में काफी आगे निकल चुके होते हैं। शुरू में युवा नशे का इस्तेमाल तनाव कम करने, चिंताओं से ध्यान हटाने या आनंद और शौक के लिए करते हैं लेकिन वही आनंद बाद में जब आदत में बदल जाता है तो फिर कई तरह की सामाजिक और शारीरिक समस्याएं जैसे एकाग्रता का भाव भंग होना, स्मरण शक्ति कमजोर होना, उदासी, चिड़चिड़ापन, बेचैनी, छोटी – छोटी बातों पर झूठ बोलना, मित्रों – संबंधियों से मुंह छिपाना, व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान न देना, पढ़ाई, खेल – कूद तथा अन्य सामाजिक गतिविधियों में रूची कम होना आदि पैदा हो जाती हैं।

पूरे प्रकरण की विडंबना यह है कि कड़ी मेहनत और दिन – रात गोबर और कीचड़ में रहकर खतरनाक ढांकों में जान जोखिम में डालकर घास इकट्ठा करके मुख्यत: महिला पशुपालक दूध पैदा करती हैं मगर दूध के अच्छे दाम भी नहीं मिलते हैं और इसे घर – घर जाकर बेचना पड़ता है। दूसरी ओर शराब और दूसरे नशों के लिए नशा करने वाले मीलों चलकर उसे खरीदने आते हैं और कभी कमी हो जाए तो ज्यादा दाम देकर भी खरीद लेते हैं। समय – समय पर राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षणों से यह बात स्पष्ट हुई है कि नशे का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव अंतत: महिलाओं पर ही पड़ता है क्योंकि इसकी लत के शिकार उनके पुत्र, पति, सुसर, बाप, भाई आदि घर के नजदीकी और सगे संबंधी ही होते हैं। नशा करने वाला व्यक्ति विवेकहीन हो जाता है तथा इन्सानियत छोड़कर हैवानियत पर जब वह उतारू होता है तो इसका शिकार सबसे पहले वे महिलाएं ही बनती हैं जो उसके आस – पास रहती हैं। बलात्कार, छेड़छाड़, योन – उत्पीड़न की घटनाएं, सड़क दुर्घटनाएं इत्यादि ज्यादातर नशे की हालत में ही अंजाम दी जाती हैं।

युवावस्था वह समय होता है जब मनुष्य में सर्वाधिक उर्जा होती है और मनुष्य उंचे आदर्शों और कठीन लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। किसी भी राष्ट्र का भविष्य उसकी युवा शक्ति पर निर्भर करता है। इसलिए हमारे सामने चुनौती यह है कि किस तरह अपने भविष्य को सुरक्षित रखें। इसमें एक तरफ मां – बाप और परिवार की जिम्मेदार भूमिका है तो दूसरी ओर हमारा अध्यापक वर्ग व बड़े – बुजुर्गों की भी कमतर भूमिका नहीं है। जिन बच्चों व युवाओं को नशे की लत लग चुकी है, उन्हें नकारें नहीं बल्कि उन्हें पहचानकर उनको समस्या से मुक्ति दिलाने का सामूहिक प्रयास करें। इस समस्या के समाधान के लिए बहुत ही संवेदनशीलता और धैर्य की जरूरत होती है। मां – बाप को ज्यादा से ज्यादा समय बच्चों की परवरिश पर लगाना चाहिए। उनके साथ मजबूत भावनात्मक तालमेल बनाए रखना होगा। बच्चा कहां जा रहा है, किसकी संगति में है इस पर नजर रखनी होगी। जरूरी है कि घर में एक स्वस्थ माहौल पैदा कर बच्चे को ज्यादा से ज्यादा सामाजिक गतिविधियों में शामिल किया जाए। दूसरी तरफ शैक्षिक संस्थानों के कार्य समय में अध्यापकों को विद्यार्थियों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। खेलकूद तथा अन्य शारीरिक गतिविधियों में ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को शामिल कर उन्हें रचनात्मक कार्यों में लगाया जा सकता है। एनएसएस, ईको क्लब, एनसीसी तथा अन्य गतिविधियों में ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को शामिल कर उनकी उर्जा को सही दिशा देने की जरूरत है। मीडिया की भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मीडिया की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि आज की इस उपभोक्तावादी एवं बाजारवादी जकाचौंध का प्रदर्शन इस तरह से न हो कि बच्चे व युवा वे तमाम चीजें करने लगें जो उन्हें परोसी जाती हैं।

शराबबंदी और अन्य नशों पर सिर्फ कागजी प्रतिबंध नहीं बल्कि प्रतिबंध को सख्ती से अम्लीजामा पहनाते हुए अरबों रूपए की बचत होगी, लोगों की गंदगी दूर होगी, उन्हें भरपेट भोजन मिलेगा, भयंकर बीमारियों पर होने वाला भारी भरकम खर्चा बचेगा तथा लोग स्वस्थ होंगे। लोग स्वस्थ होंगे तो देश के विकास में वे अधिक योगदान देंगे, अपराधों में कमी आएगी तथा सड़क दुर्घटनाएं भी कम होंगी। ऐसा करके युवा पीढ़ी यानि देश के भविष्य को बचाया जा सकता है। नशाखोरी और नशे के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए समाज के सभी घटकों द्वारा अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए एक सशक्त नशामुक्ति आंदोलन चलाकर ही एक आदर्श तथा प्रगतिशील समाज गढ़ा जा सकता है। वक्त की भी यही पुकार है कि आगे आओ, माहौल बनाओ, हालात बदलो।

अरबों रुपये लुटाकर जो संसद पहुंचा वह देश तो लूटेगा ही

पुण्य प्रसून वाजपेयी

एक मार्च 2016 को विजय माल्या संसद के सेन्ट्रल हाल में वित्त मंत्री अरुण जेटली से मिलते हैं। दो मार्च को रात ग्यारह बजे दर्जन भर बक्सों के साथ जेट एयरवेज की फ्लाइट से लंदन रवाना हो जाते हैं। फ्लाइट के अधिकारी माल्या को विशेष यात्री के तौर पर सारी सुविधायें देते हैं। और उसके बाद देश में शुरु होता है माल्या के खिलाफ कार्रवाई करने का सिलसिला या कहें कार्रवाई दिखाने का सिलसिला। क्योंकि देश छोड़ने के बाद देश के 17 बैंक सुप्रीम कोर्ट में विजय माल्या के खिलाफ याचिका डालते हैं। जिसमें बैंक से कर्ज लेकर अरबों रुपये ना लौटाने का जिक्र होता है और सभी बैंक गुहार लगाते है कि माल्या देश छोड़कर ना भाग जाये इस दिशा में जरुरी कार्रवाई करें। माल्या के देश छोड़ने के बाद ईडी भी माल्या के देश छोडने के बाद अपने एयरलाइन्स के लिये लिये गये 900 करोड रुपये देश से बाहर भेजने का केस दर्ज करता है। माल्या के देश छोड़ने के बाद 13 मार्च को हैदराबाद हाईकोर्ट भी माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करता है। क्योंकि माल्या जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम जो पचास लाख का चेक देते हैं, वह बाउंस कर जाता है। 24 अप्रैल को राज्यसभा की ऐथिक्स कमेटी की रिपोर्ट में माल्या को राज्यसभा की सदस्यता रद्द करने की बात इस टिप्पणी के साथ कहती है कि 3 मई को वह माल्या को सदन से निलंबित किया जाये या नही इस पर फैसला सुनायेगी। और फैसले के 24 घंटे पहले यानी 2 मई को राज्यसभा के चैयरमैन हामिद अंसारी के पास विजय माल्या का फैक्स आता है जिसमें वह अपने उपर लगाये गये आरोपों को गलत ठहराते हुये राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे देते हैं। और अगले दिन यानी तीन मई 2016 को राज्यसभा के एथिक्स कमेटी माल्या की सदस्यता रद्द करने का फैसला दे देती है। उसके बाद जांच एजेंसियां जागती हैं। पासपोर्ट अवैध करार दिये जाते हैं । विदेश यात्रा पर रोक लग जाती है। तमाम संपत्ति जब्त करने की एलान हो जाता है। और किसी आर्थिक अपराधी यानी देश को चूना लगाने वाले शख्स के खिलाफ कौन-कौन सी एजेंसी क्या क्या कर सकती है, वह सब होता है। चाहे सीबीआई हो आईबी हो ईडी हो या फिर खुद संसद ही क्यो ना हो।

तो क्या वाकई देश ऐसे चलता है जैसा आज कांग्रेसी नेता पूनिया कह गये कि अगर संसद के सीसीटीवी को खंगाला जाये तो देश खुद ही देख लेगा कि कैसे माल्या और जेटली एक मार्च 2016 को संसद के सेन्ट्रल हाल में बात नहीं बल्कि अकेले गुफ्तगु भर नहीं बल्कि बैठक कर रहे थे। और यह झूठ हुआ तो वह राजनीति छोड देंगे। या फिर वित्त मंत्री अरुण जेटली बोले, माल्या मिले थे। पर बतौर राज्यसभा सांसद वह तब किसी से भी मिल सकते थे। पर कोई बैठक नहीं हुई। तो सवाल तीन हैं। पहला, जो संसद कानून बनाती है उसे ही नही पता कानून तोडने वाले अगर उसके साथ बैठे हैं तो उसे क्या करना चाहिये।

दूसरा, सांसद बन कर अपराध होता है या अपराधी होते हुये सांसद बन कर विशेषाधिकार पाकर सुविधा मिल जाती है। तीसरा, देश में कानून का राज के दायरे में सांसद या संसद नही आती है क्योंकि कानून वही बनते हैं। दरअसल तीनों सवालो के जवाब उस हकीकत में छिपे हैं कि आखिर कैसे विजयमाल्या सांसद बनते है और कैसे

देश की संसदीय राजनीति करोड़ो के वारे न्यारे तले बिक जाती है। उसके लिये विचार, कानून या ईमानदारी कोई मायने नही रखती है। कैसे? इसके लिये आपको 2002 और 2010 में राज्यसभा के लिये चुने गये विजय माल्या के पैसों के आगे रेंगते कांग्रेस और बीजेपी के सांसदों के जरीये समझना होगा। या फिर कर्नाटक में मौजूदा सत्ताधारी जेडीएस का खेल ही कि कैसे करोडों-अरबों के खेल तले होता रहा इसे भी समझना होगा और संसद पहुंचकर कोई बिजनेसमैन कैसे अपना धंधा चमका लेता है इसे भी जानना होगा। 2002 में कर्नाटक में कांग्रेस की सत्ता थी। तो राज्यसभा के चार सदस्यों के लिये चुनाव होता है। चुने जाने के लिये हर उम्मीदवार को औसत वोट 43.8 चाहिये थे। कांग्रेस के तीन उम्मीदवार जीतते हैं और 40 विधायकों को संभाले बीजेपी के एक मात्र डीके तारादेवी सिद्दार्थ हार जाते हैं। क्योंकि बीजेपी को हराने के लिये कांग्रेस जेडीएस के साथ मिलकर निर्दलीय उम्मीदवार विजयमाल्या को जीता देती है।

और मजे की बाज तो ये भी होती है कि बीजेपी के चार विधायक भी तब बिक जाते हैं। यानी रिजल्ट आने पर पता चलता है कि विजयमाल्या को 46 वोट मिल गये। यानी दो वोट ज्यादा। और तब अखबारों में सुर्खियां यही बनती है कि करोडों का खेल कर विजय माल्या संसद पहुंच गये। तब हर विधायक के हिस्से में कितना आया इसकी कोई तय रकम तो सामने नही आती है लेकिन 25 करोड रुपये हर विधायक के आसरे कर्नाटक के अखबार विश्लेषण जरुर करते हैं। आप सोच सकते हैं कि 2002 में 46 वोट पाने के लिये 25 करोड़ के हिसाब से 11 अरब 50 करोड रुपये जो बांटे गये होंगे, वह कहां से आये होंगे और फिर उसकी वसूली संसद पहुंच कर कैसे विजय माल्या ने की होगी। क्योंकि वाजपेयी सरकार के बाद जब मनमोहन सिंह की सरकार बनती है और उड्डयन मंत्रालय एनसीपी के पास जाता है। प्रफुल्ल पटेल उड्डयन मंत्री बनते हैं और तब विजय माल्या उड्डयन मंत्रालय की समिति के स्थायी सदस्य बन जाते हैं। और अपने ही धंधे के ऊपर संसदीय समिति का हर निर्णय कैसे मुहर लगाता होगा, ये बताने की जरुर नही है। और उस दौर में किंगफिशर की उड़ान कैसे आसामान से उपर होती है, ये कोई कहां भूला होगा। पर बात यही नही रुकती । 2010 में फिर से कर्नाटक से 4 राज्यसभा सीट खाली होती हैं। इस बार सत्ता में बीजेपी के सरकार कर्नाटक में होती है। और औसत 45 विधायकों के वोट की जरुरत चुने जाने के लिये होती है। बीजेपी के दो और कांग्रेस का एक उम्मीदवार तो पहले चरण के वोट में ही जीत जाता है। पर चौथे उम्मीदवार के तौर पर इस बार कांग्रेस का उम्मीदवार फंस जाता है। क्योंकि कांग्रेस के पास 29 वोट होते हैं। बीजेपी के पास 26 वोट होते है । और 27 वोट जेडीएस के होते हैं। जेडीएस सीधे करोडों का सौदा एकमुश्त करती है। तो 5 निर्दलीय विधायक भी माल्या के लिये बिक जाते हैं। और 13 वोट बीजेपी की तरफ से पड़ जाते हैं। यानी 2002 की सुई कांग्रेस से घुम कर 2010 में बीजेपी के पक्ष में माल्या के लिये घुम जाती है। फिर कर्नाटक के अखबारों में खबर छपती है करोडों-अरबों का खेल हुआ है। इस बार रकम 25 करोड से ज्यादा बतायी जाती है। यानी 2002 की साढे ग्यारह अरब की रकम 20 अरब तक बतायी जाती है। तो फिर ये रकम कहां से विजय माल्या लाये होंगे और जहां से लाये होंगे, वहां वापस रकम कैसे भरेंगे। ये खेल संसद में रहते हुये कोई खुले तौर पर खेलता है। इस दौर में आफशोर इन्वेस्टमेंट को लेकर जब पनामा पेपर और पैराडाइड पेपर आते है तो उसमें भी विजय माल्या का नाम होता है। यानी एक लंबी फेरहिस्त है माल्या को लेकर। लेकिन देश जब नये सवाल में जा उलझा है कि संसद में 1 मार्च 2016 को विजयमाल्या लंदन भागने से पहले वित्त मंत्री से मिले या नही? या क्या वह वाकई कह रहे थे कि वह भाग रहे हैं, पीछे सब देख लेना। और पीछे देखने का सिलसिला कैसे होता है, ये पूरा देश देख समझ सकता है।

लेकिन आखिरी सवाल तो यही है कि जिस संसद में 218 सांसद दागदार हैं, उसी संसद के एक पूर्व सदस्य से अरबों रुपये लेकर कर्नाटक की सियासत और देश की संसद अगर 2002 से लेकर 2016 तक चलती रही तो यह क्यो ना मान लिया जाये कि संसद ऐसे ही चलती है और अरबों रुपये लुटाकर जो संसद पहुंचेगा वह देश को नही तो किसे लुटेगा।

राफेल प्रकरण में संयुक्त संसदीय समिति का गठन क्यों नहीं:डा.प्रेम सिंह

शिमला। फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमान खरीद का मामला लगातार संदेह के घेरे में बना हुआ है। इस सौदे के बारे में आरोप है कि यह भारत में अब तक का सबसे बड़ा रक्षा घोटाला है। हजारों करोड़ रुपए के आकार के इस घोटाले के सामने 64 करोड़ रुपए का बोफर्स तोप घोटाला कही नही ठहरता। यह बात निरंतर छन-छन कर आ रहे तथ्यों से प्रमाणित होती जा रही है कि इस सौदे में निर्धारित नियमों का उल्लंघन करके खुद प्रधानमंत्री ने एक उद्योगपति विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए देश की रक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया है और सरकारी खज़ाना लुटाया है। सरकार पर यह भी आरोप है उसने इस पूरे मामले में अंतविरोधी बयान दियी हैं और संसद को गुमराह किया है। जो तथ्य प्रथम द्रष्टया आ रहे हैं उनसे लगता है कि इस सौदे के भीतर काफी गड़बड़ है। मोदी सरकार के पास आरोपों का संतोषजनक उत्तर नही है। वह सौदे से जुड़े सारे तथ्यों को 2008 के गोपनीयता प्रावधानों के आवरण में ढंकने की कोशिश में लगी है। फांस की सरकार भी ऐसा ही कर रही है।

पिछली यूपीए सरकार अपनी वायुसेना की मजबूती के लिए फांस की कंपनी डसाल्ट से 126 राफेल विमान खरीदना चाहती थी। चूंकि कांग्रेस सरकार बोफर्स तोप सौदे के दूध से जल चुकी थी, इसलिए उसने छाछ को फूंक मारकर पीना उचित समझा। इसीलिए रक्षा सौदों के लिए बाकायदा रक्षा मंत्रालय और सेनाओं के संबंधित विभागों की समितियां बनाई गई थी, जिनकी संस्तुति के बिना कोई सौदा नही हो सकता। इस व्यवस्था के तहत हर रक्षा सौदा कई चरणों से होकर गुजरता है। राफेल विमानों का सौदा इन सभी चरणों से होकर गुजरा था और वायुसेना के छह स्वाड्रनों के नवीकरण की जरूरत को देखते हुए एक साथ 126 विमान खरीदने का फैसला किया गया था। राफेल विमान परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है और इसमें दो इंजन लगे हैं। इसमें अमेरिका में विकसित राडार भी लगा है।

उस समय सरकार की मंशा घरेलू उद्योगों को रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी लाने की भी थी। उसने वाजिब दरों पर विमान खरीदने के लिए 2012 में लंबी वार्ता चलाई जिसमें तय हुआ कि हर विमान की कीमत 670 करोड़ रुपए पड़ेगी। 18 विमान सीधे फ्रांस से तैयार हालत में लाए जाएंगे और 108 विमान फ्रांस से लाये गए कल-पुर्जों से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हिंदुस्तान एअरोनाटिक्स लिमिटेड (एचएएल) भारत में तैयार किये जायेंगे। इस बीच सरकार बदल गई। एनडीए की सरकार ने वार्ता जारी रखी। 2015 में विमान निर्माता कंपनी डसाल्ट के सीईओ भारत आए और उन्होंने कहा कि सारी वार्ताएं खत्म हो गई हैं और दाम की बात भी पक्की हो गई है। लेकिन एक पूंजीपति को फायदा पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायु सेना, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय को विश्वास में लिए बिना सौदे की समस्त प्रक्रिया और शर्तों को मात्र दो दिनों में पलट दिया। सरकार ने 126 विमानों की जगह 36 विमान लेने का फैसला किया। वह भी 670 करोड़ रुपए प्रति विमान की जगह 1660 करोड़ रुपये प्रतिविमान की दर से। पहले यह तय था कि विमान के कलपुर्जे बाहर से आएंगे और एचएएल उन्हें जोड़ेगा। अब यह तय हुआ कि प्रौद्योगिकी हस्तांतरण होना जरूरी नही है। वे 36 विमान डसाल्ट्स ही बनाकर देगा।

'मेक इन इंडिया' का मज़ाक उड़ाते हुए एचएएल जैसी सार्वजनिक उपक्रम की कंपनी को सौदे की प्रक्रिया से बाहर कर दिया और उसकी जगह अनिल अंबानी की केवल इस सौदे को हथियाने के लिए बनाई गई नई व अनुभवहीन कंपनी रिलायंस डिफेंस लिमिटेड को जोड़ लिया। रिलायंस के मालिक अनिल अम्बानी ने प्रधानमंत्री की मिलीभगत से डलास्टस के साथ एक संयुक्त उपक्रम गठित कर लिया। यह भी तथ्य सामने आया कि रिलायंस ने फांस के राष्ट्रपति होलदे की अभिनेत्री पार्टनर जूली गैएट की फिल्म के निर्माण के लिए सहयोग करने का 200 करोड़ रुपए का समझौता किया था।

प्रति विमान पर अचानक 1000 करोड़ रुपए बढ़ाए जाने के पीछे दलील दी गई कि इसमें भारत के लिए विशेष प्रकार के उपकरण लगाए गए हैं। लेकिन उन उपकरणों की उपयोगिता को सेना की समितियों ने प्रमाणित नही किया है। सोशलिस्ट पार्टी इस विवाद पर सरकार के बचाव में आये एयर चीफ मार्शल और एयर मार्शल के बयानों पर टिप्पणी नही करना चाहती। लेकिन उनके द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम एचएएल की जगह निजी कंपनी का खुला पक्ष लेने पर चिंता प्रकट करती है। सरकार ने दूसरी दलील यह दी है कि विमान खरीदा जाना तत्काल जरूरी है। लेकिन इसके लिए सौदे की प्रक्रिया को पलट देने क्या औचित्य है? सौदे के साथ की गई सारी उठा-पटक के बावजूद पहला विमान सितंबर 2019 में फांस से बन कर आएगा।

सोशलिस्ट पार्टी का मानना है कि संदेह के घेरे में आये राफेल विमान सौदे की सच्चाई देश की जनता के सामने आनी चाहिए। इसके लिए सबसे पहली जिम्मेदारी केंद्र सरकार और खुद प्रधानमन्त्री की है। केंद्र की भाजपानीत सरकार में शामिल राजनैतिक दलों का भी राष्ट्र के प्रति यह दायित्व बनता है कि इस सौदे को लेकर जनता में फैले संदेह का आगे आकर निवारण करें।

सोशलिस्ट पार्टी की मांग है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सरकार की ओर से तुरंत संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया जाए।

हिमाचल में मानसून ने ली 264 लोगों की जान:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। प्रदेश को मानसून के दौरान भारी बर्षा, बाढ़ और बादल फटने की घटनाओं के कारण 264 लोगों की जाने गईं, जिनमें क्षतिग्रस्त सड़कों के कारण सड़क दुर्घटनाओं से 199 मौतें शामिल हैं। इसके अलावा इस दौरान कुल 1217.29 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में बादल फटने के 33 तथा भूस्खलन के 391 मामले सामने आए, जिनसे सम्पत्ति को भारी नुकसान हुआ। यह खुलासा मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर न 1 जुलाई से 17 सितंबर तक राज्य में मानसून के दौरान हुए नुकसान और क्षति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक निर्माण विभाग को वर्षा के कारण सड़कों पुलों, डंगों और दीवारों को हुई क्षति से सर्वाधिक 735 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। भारी बारिश के साथ-साथ मलबे की अनियोजित डंपिंग भी सड़कों की क्षति का कारण रहा। उन्होंने उचित डंपिंग स्थल चिन्हित किए जाने के निर्देश दिए व कहा कि प्रभावी क्रॉस नालियां तथा सड़कों के किनारे ड्रेनेज सुविधाएं सुनिश्चित बनाई जानी चाहिए।

जय राम ठाकुर ने कहा कि

सिचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग को 328.78 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। अनेक मुख्य, मध्यम व लघु पेयजल आपूर्ति और सिचाई योजनाएं भूस्खलन व भारी बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हुई। उन्होंने कहा कि कृषि व बागवानी क्षेत्र को 88.81 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है, जबकि ऊर्जा क्षेत्र को 24.50 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचा।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य की क्षतिग्रस्त अधोसंरचनाओं की तत्काल बहाली व मुरम्मत कार्यों के लिए 229.64 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिले के नूरपुर में एक एनडीआरएफ की कंपनी तैनात की गई है। इसके अतिरिक्त प्रमुख नदियों के जल स्तर की दैनिक निगरानी भी सुनिश्चित बनायी जा रही है। किसी भी अप्रिय घटना से बचने तथा शुरूआती चेतावनी के लिए पहली बार मंडी जिले के कोटरूपी तथा ओट में भूस्खलन सेंसर स्थापित किये गये। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शीघ्र ही प्रदेश को हुए नुकसान की भरपाई के लिए केन्द्र सरकार को ज्ञापन प्रस्तुत करेगी।

आरटीआई कार्यकर्ता के कत्ल मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

शिमला/शैल। जिला सिरमौर के बकरास के दलित नेता व आरटीआई कार्यकर्ता केदार सिंह जिंदान की दबंगों की ओर से सात सितंबर को स्कार्पियों के नीचे कुचलकर किए कत्ल के मामले में प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार से दो सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया है। अदालत ने इस बावत सरकार को नोटिस जारी किया। याचिका में गिरी पार प्रचलित खुमली प्रथा पर पाबंदी लगाने की मांग की है।

प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका में अदालत से इस जिंदान हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने, जिंदान की ओर से उठाए गए तमाम भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करा कर दोषियों को सजा दिलाने का आग्रह किया गया है। इसके अलावा याचिका में जिंदान को पुलिस सुरक्षा मुहैया न कराने के लिए जिम्मेदार पुलिस व बाकी अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करने का आग्रह किया गया है। याद रहे कि जिंदान ने अपने लिए दंबगों की ओर से जान के खतरे का अंदेशा जताया था व इस बावत बीपीएल प्रमाणपत्रों के भ्रष्टाचार को लेकर विजीलेंस को भेजी शिकायत में जिक्र किया था। लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। इसके अलावा जिंदान के साथ बतौर सहायक वकील काम कर रहे वकील अनिल कुमार के लिए भी सुरक्षा की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि अनिल कुमार ने इस हत्याकांड को उजागर किया व न्याय के लिए लोगों को लामबंद किया। ऐसे में दबंग उसकी जान के पीछे भी पड़ गए हैं।

ऐसे में अंदेशा है कि अनिल कुमार को भी जिंदान की तरह न निपटा दिया जाए।

याचिका में गिरी पार क्षेत्र में खापों की तरह काम कर रही खुमलियों पर पूर्णतौर पर पांबदी लगा दी जाए।

याचिका पर सुनवाई करते हुए कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल व न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल ने सरकार से दो सप्ताहों के भीतर जवाब तलब कर लिया है।

2021 तक शिमला शहर को 24 घण्टे पानी की आपूर्ति होगी सुनिश्चित:जय राम ठाकुर

शिमला/शैल। शिमला शहर के लिए पेयजल आपूर्ति में सुधार के लिए दीर्घकालिक कार्य योजना के तहत सतलुज नदी से जलापूर्ति योजना

के संवर्धन के लिए 322.5 करोड़ रुपये की एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को अंतिम रूप दिया गया है। यह बात मुख्यमंत्री ने शिमला शहर में पेयजलापूर्ति में सुधार के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक रणनीति की समीक्षा करने के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह महत्वाकांक्षी परियोजना दिसम्बर 2021 तक पूरी हो जाएगी और शिमला शहर में 24 घंटे पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि इस संवर्धन परियोजना के पूरा होने के बाद शिमला जल प्रबन्धन निगम लिमिटेड वितरण नेटवर्क के सुधार के लिए काम करेगा, जिसके लिए सलाहकार द्वारा बोली दस्तावेज तैयार किए गए हैं और यह कार्य मार्च 2024 तक पूरा हो जाएगा।

जय राम ठाकुर ने कहा कि अल्पकालिक उपायों के तौर पर 17 एमएलडी की कुल क्षमता के साथ फीडर लाइन सहित नौ भंडारण टैंकों का निर्माण प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि इसमें से सात साइटों को अंतिम रुप दे दिया गया है और 25.50 करोड़ रुपये खर्च कर कार्य अप्रैल, 2019 तक पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रिसाव को कम करने के लिए स्नोडाउन पंप हाउस में राइजिंग मेन और पंपिंग मशीनरी को बदला जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंचाई और जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा 63 करोड़ रुपये की लागत से सतलुज से जल आपूर्ति योजना गुम्मा का संवर्धन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह कार्य अप्रैल, 2019 तक पूरा हो जाएगा और कमजोर मौसम के दौरान गुम्मा जल उपचार संयंत्र में पानी की उपलब्धता में सुधार होगा।

उन्होंने कहा कि गिरि राइजिंग मेन के प्रतिस्थापन का कार्य आवंटित कर दिया गया है, जो अगले वर्ष मार्च तक 6.80 करोड़ रुपये की लागत से पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पंपिंग दक्षता में सुधार के लिए उठाऊ जल आपूर्ति योजना गुम्मा में चार पंपों के प्रतिस्थापन के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। यह कार्य तीन करोड़ रुपये व्यय कर अगले वर्ष फरवरी माह तक पूरा किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उपभोक्ताओं को गुणात्मक पेयजल प्रदान करने के लिए जल उपचार संयंत्र के स्तरोन्यन (यूवी उपचार और क्लोरीनेशन) अगले मार्च तक पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे लोगों को बैक्टीरिया व वायरस मुक्त पानी सुनिश्चित उपलब्ध होगा।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को मुख्य पाइप लाइनों के साथ-साथ वितरण लाइनों से रिसाव को प्लग करने के निर्देश दिये ताकि पानी के नुकसान से बचा जा सके।

सिचाई और जन स्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार को पहले से ही तैयार रहने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि शिमला शहर के लोगों को भविष्य में पानी के संकट का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि आम जनता तथा शहर में आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए शहर के विभिन्न भागों में 25 जल एटीएम स्थापित किए जाएंगे।

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आयोजित करेगा 'समर्थ-2018' जागरूकता अभियान

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 1 अक्तूबर से 13 अक्तूबर, 2018 तक जागरूकता एवं क्षमता निर्माण अभियान 'समर्थ-2018' का आयोजन कर रहा है। अभियान की कड़ी में जिला व राज्य स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों व गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा।

डी.सी. राणा ने कहा कि वर्ष 2011 में शुरू हुआ समर्थ अभियान राज्य, जिला तथा सामुदायिक स्तर पर चलाया जा रहा है तथा प्राधिकरण, आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ व राजस्व विभाग द्वारा हर वर्ष विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। इसके लिए सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण सामग्री बड़े पैमाने पर तैयार की गई है तथा आपदा जोखिम को कम करने के लिए जानकारी व समझ बढ़ाने के लिऐ विभिन्न लक्षित समूहों में बांटा जा रहा है।

उन्होने कहा कि शिक्षण संस्थानों में अग्नि सुरक्षा पर म क ड्रिल के आयोजन के अलावा स्कूलों में नारा लेखन प्रतियोगिता, आपदा पर प्रश्नोत्तरी, पोस्टर बनाना तथा निबंध लेखन प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी।

राणा ने कहा कि जागरूकता गतिविधियों के अलावा समर्थ-2018 के लिए नए कदम उठाए गए हैं। विभिन्न प्रकार के खतरों को दर्शाने वाली कहानियों के लिए प्रतियोगिताएं होंगी। श्रेष्ठ प्रविष्टियों को प्रकाशन में संकलित किया जाएगा और इसके लिए पुरस्कार भी दिए जाएंगे। प्राधिकरण 'हिमाचल डीआरआर लीडरशिप अवार्ड-2018' के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में आपदा तैयारियों, प्रतिक्रिया, इससे उभरने व उपायों के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें सुविधा प्रदान करेगा।

उन्होंने कहा कि प्राधिकरण आपदा तैयारियों एवं प्रतिक्रिया के लिए नवाचार प्रतिकृति के विकास के लिए प्रतिस्पर्धा भी आयोजित करेगा। उत्कृष्ट प्रविष्टियों को 13 अक्तूबर को पुरस्कृत किया जाएगा। सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के सहयोग से सभी उपमण्डलों में आपदा प्रबन्धन पर जन जागरूकता उत्पन्न करने के लिए नुक्कड़ व नाटकों का आयोजन किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि आपदा प्रतिक्रिया, आग बुझाना, खोज एवं बचाव के लिए बाजार में उपलब्ध विभिन्न उपकरणों को प्रदर्शित करने के लिए शिमला में 12 और 13 अक्तूबर को उत्पादों, तकनीकी, आपदा तैयारियों एवं प्रतिक्रिया से सम्बद्ध उपकरणों की एक प्रदर्शनी लगाई जाएगी।

शिमला में आम जनमानस के लिए पहली बार आग बुझाने वाले यंत्रों के प्रयोग, विभिन्न प्रकार की गांठों को बांधना, चिकित्सा प्राथमिक उपचार, आधुनिक तरीके से बचाव इत्यादि पर प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन किया जाएगा।

प्रदेश सरकार लोगों को गुणात्मक स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए वचनबद्ध:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। प्रदेश के लोगों को उनके घरद्वार के समीप गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य है। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर चमियाना में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा आयोजित नि:शुल्क बहु विशेषज्ञ स्वास्थ्य शिविर के शुभारम्भ के उपरांत एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार केंद्र से 6,000 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं को स्वीकृत करने में सफल रही है, जो स्वयं में एक रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि सरकार हिमाचल प्रदेश को देश का पसंदीदा पर्यटन स्थल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और राज्य में अनछूए पर्यटक स्थलों की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि आज देश, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर प्रदेश व देशभर में अनेक कार्यक्रम, नि:शुल्क स्वास्थ्य जांच व स्वच्छता अभियान पर आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य के विकास के एकमात्र उद्देश्य से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार हिमाचल प्रदेश को हर क्षेत्र में विकास के शिखर पर लाना चाहती है। इससे उपरांत, मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश गृहिणी सुविधा योजना के लाभार्थियों को मुफ्त गैस कनेक्शन वितरित किए। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर आयोजित स्वच्छता अभियान में भी भाग लिया। मुख्यमंत्री ने ग्राम पंचायत चमियाना में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की घोषणा की। उन्होंने पंचायत में फूलों व बे-मौसमी सब्जियों के लिए कोल्ड स्टोर स्थापित करने की भी घोषणा की।

शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि यह पहली बार हुआ है कि मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2018-19 के लिए प्रस्तुत बजट में तीस नई योजनाओं की घोषणा की गई है।

सांसद वीरेंद्र कश्यप ने कहा कि 'स्वस्थ भारत-विकसित भारत' हमारे प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी का मुख्य लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार महिलाओं, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

सामाजिक बुराईयों से निजात दिलायेंगे "युवा परामर्श केन्द्र"

शिमला/शैल। किशोरावस्था जीवन की अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था है और इस दौरान युवा अपने जीवन की दिशा व उद्देश्यों को तय करते हैं। इस काल में किशोरों की समुचित देखभाल की आवश्यकता रहती है। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत राज्य में किशोरों की समस्याओं के लिए विशेष स्वास्थ्य केंद्र 'किशोर मित्र स्वास्थ्य केंद्र' कार्य कर रहे हैं। किशोरों के अनुकूल स्वास्थ्य क्लिनिकों के माध्यम से प्रदेश के सभी क्षेत्रीय/आंचलिक अस्पतालों में किशोरों को परामर्श और उपचार सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

हि.प्र. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन निदेशक मनमोहन शर्मा ने बताया कि राज्य के क्षेत्रीय अस्पतालों में बहुत से किशोर नशामुक्ति केन्द्रों तथा अन्य यौन संबंधी बीमारियों के परामर्श व उपचार के लिए आ रहे हैं।

पोषण, युवावस्था, प्रजनन प्रसारित संक्रमण व यौन संचारित संक्रमणों की रोकथाम व गर्भनिरोधक और विवाह व बच्चे के जन्म में देरी जैसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य विषयों पर राज्य के क्षेत्रीय/आंचलिक अस्पतालों में स्थापित सभी किशोर अनुरूप स्वास्थ्य केंद्रों में प्रशिक्षित सलाहकारों के माध्यम से परामर्श सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। इन स्वास्थ्य केंद्रों में साप्ताहिक आयरन फोलिक एसिड व अल्बेन्डाजोल, सेनेटरी नैपकिन, गर्भ निरोधक और जरूरी दवाएं जैसा सामान भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।

गंभीर कुपोषण, प्रजनन प्रसारित संक्रमण/यौन संचारित संक्रमण की समस्याएं, मासिक धर्म संबंधी गड़बड़ी, पुरुषों और महिलाओं की यौन चिंताएं, मानसिक स्वास्थ्य सेवा व मानसिक तनाव पर काबू, गैर-संक्रमणीय बीमारियों के उपचार व अन्य आम बीमारियों के उपचार, नशीले पदार्थों के दुरुपयोग पर काबू और गैर-संचारित बीमारियों जैसे उच्च रक्तचाप, मधुमेह इत्यादि की उपचार सेवाएं प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारियों और एएनएम द्वारा उपलब्ध कराई जा रही हैं।

इन केंद्रों में अनचाही गर्भावस्था को रोकने और किशोर गर्भावस्था में देरी के लिए गर्भ निरोधक और आपातकालीन गर्भ निरोधकों और लंबे समय तक उपयोगी गर्भ निरोधकों के प्रावधान पर परामर्श प्रदान किया जाता है। गर्भवती किशोरियों को शीघ्र प्रसव पूर्व पंजीकरण और प्रसव पूर्व और प्रसव बाद की जटिलताओं से बचने के लिए संस्थागत प्रसव सुनिश्चित करने के लिए सलाह दी जाती है। विवाह की उचित आयु और किशोर गर्भावस्था के प्रतिकूल स्वास्थ्य परिणामों पर ग्रामीण स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के दौरान जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। इसक अलावा स्कूल व समुदाय में स्वास्थ्य शिक्षा सत्र आयोजित किए जाते हैं। किशोर लड़कियों में मातृ मृत्यु में कमी लाने में लिए इन केंद्रों में आयरन फॉलिक एसिड प्रदान किया जाता है और पोषण परामर्श के माध्यम से एनीमिया होने की रोकथाम की जाती है। उचित स्वास्थ्य सुविधा परामर्श के माध्यम से, किशोरियों को शीघ्र व सुरक्षित गर्भपात सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

किशोरावस्था में यौन संक्रमित बीमारियों और एचआईवी पॉजिटिव मामलों के अनुपात में कमी लाने के लिए इन केंद्रों में प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी सामान्य जननांग संक्रमण /यौन संचारित संक्रमणों का शीघ्र उपचार करते हैं। स्वास्थ्य कर्मचारी गोपनीयता, उपचार का पालन, सहयोगी से संपर्क और आगे की कार्यवाही सुनिश्चित करते हैं। एचआईवी संक्रमण को रोकने के लिए आईसीटीसी सुविधाओं के लिए कड़ी और परामर्श स्थापित किया जाता है। मासिक धर्म संबंधी अनियमितता का उपचार और किशोरावस्था की यौन चिंताओं का समाधान उचित स्तर के संस्थान में सुनिश्चित किया जा रहा है।

इन क्लिनिकों को किशोरों के अनुकूल बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने इन केंद्रों का नाम ''युवा परामर्श केन्द्र'' रखा है जिसका उद्देश्य किशोरों को सामाजिक बुराईयों से निजात दिलाना और उन्हें जीवन में सही दिशा चुनने के लिए प्रेरित करना है।

Incredible India

HIMACHAL TOURISM

GO THOUSANDS OF FEET
ON JUST TWO FEET

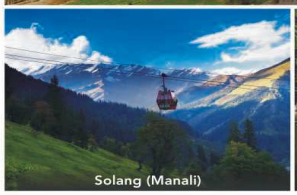
Solang (Manali)

Renuka Lake (Sirmaur)

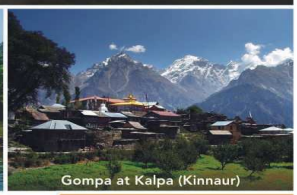
Gompa at Kalpa (Kinnaur)

In Himachal be a traveller and explore new destinations.
With its pristine landscape, unique flora & fauna,
virgin destinations, soulful pilgrimage places,
there is so much to bring your mundane life back on track.
So, what are you waiting for! Plan your trip now.
Come to Himachal.

HOME STAY FACILITY IS AVAILABLE IN RURAL AREAS OF HIMACHAL

www.himachaltourism.gov.in

DEPARTMENT OF TOURISM & CIVIL AVIATION
Block No 28, SDA Complex, Kasumpti, Shimla (H.P.) | Tel: 0177-2625924, 2623959, 2625511, 2625864
Fax: 0177-2625456 | Email: tourismmin-hp@nic.in ; tourism.hp@nic.in.
For all accommodation requirements and packages visit: www.hptdc.in ; www.himachaltourism.online

QUANTUM

2008 के 836 प्रधानाचार्यों को मिली नियमित पदोन्नति

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार राज्य में विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने, अधोसरंचना विकसित करने के साथ-साथ विभाग के कर्मचारियों व शिक्षकों को एक उपयुक्त वातावरण एवं बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है।

शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज के मार्गदर्शन में शिक्षकों व कर्मचारियों की लम्बे समय से चली आ रही मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जा रहा है। इसी कड़ी में गत दिनों शिक्षा मंत्री के निर्देश पर पिछले दस सालों से तदर्थ आधार पर पदोन्नत प्रधानाचार्यों के नियमितिकरण के लिए 2008 से वर्षवार विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया, जिसके तहत प्रथम विभागीय पदोन्नति बैठक गत दिनों आयोजित की गई, जिसमें वर्ष 2008 में तदर्थ आधार पर प्रवक्ता तथा मुख्याध्यापक से प्रधानाचार्य पदों पर पदोन्नत हुए 836 प्रवक्ताओं व मुख्याध्यापकों को नियमित प्रधानाचार्य पदोन्नत किया गया।

शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि शिक्षा विभाग में वर्ष 2008 के उपरांत पदोन्नत हुए प्रधानाचार्य की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक न होने के कारण यह प्रधानाचार्य तदर्थ आधार पर ही कार्य कर रहे थे, नियमित प्रधानाचार्य न होने के कारण इन्हें वित्तीय लाभों से भी वंचित रहना पड़ रहा था और कुछ प्रधानाचार्य इस अवधि के दौरान सेवानिवृत भी हो गए। प्रदेश सरकार के इस निर्णय से अब इन प्रधानाचार्यों को देय पदोन्नति से वित्तीय लाभ प्राप्त होंगे।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि अब सरकार चरणबद्ध तरीके से वर्ष 2018 तक तदर्थ आधार पर पदोन्नत सभी प्रधानाचार्यों को नियमित करेगी, जिसके लिए अब वर्षवार विभागीय पदोन्नति बैठक की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से प्रदेश में लम्बे समय से अपने नियमित होने का इंतजार कर रहे हजारों प्रधानाचार्य लाभान्वित होंगे।

शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों से राज्य सरकार के गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के प्रयासों में ईमानदारी व समर्पण की भावना के साथ अध्यापन कार्य का निर्वहन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बेहतर परिणाम देने के साथ बच्चों में नैतिक मूल्यों का संचार करना भी शिक्षकों की जिम्मेवारी है।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

धारा 118 की जांच में क्या सचिव स्तर पर दी गयी ई सी अनुमतियों की जांच भी होगी

शिमला/शैल। पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक सानन ने मुख्यमन्त्री को पत्र लिखकर शिकायत की है कि प्रदेश मे 2013 से लेकर 2017 तक मुजारियत एवम् भू सुधार अधिनियम की

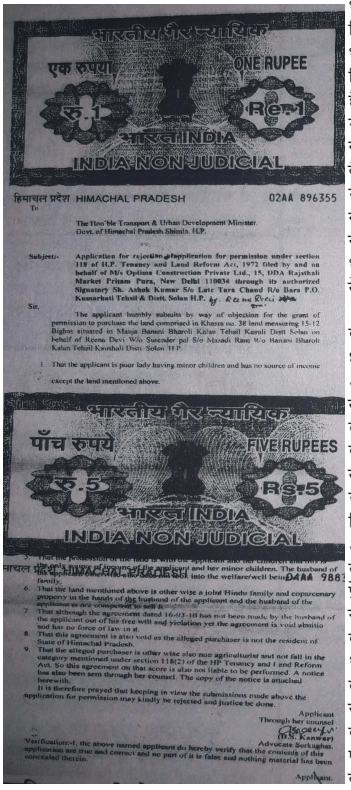

धारा 118 का दुरूपयोग हुआ है। इस दुरूपयोग के कुछ मामले उठाते हुए यह मांग की है कि पूर्व मुख्यमन्त्री वीरभद्र सिंह, पूर्व मुख्य सचिव वीसी फारखा और तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व तरूण श्रीधर के खिलाफ तुरन्त मामला दर्ज करके जांच की जाये। सानन ने यह भी कहा है कि यदि सरकार जांच नहीं करवाती है तो वह इसके लिये अदालत का दरवाजा भी खटखटायेंगे। ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि अतिरिक्त मुख्य सचिव रहे अधिकारी ने इतनी गंभीरता दिखाते हुए ऐसी कोई शिकायत की है। सानन इस समय जयराम सरकार द्वारा गठित कुछ कमेटीयों के सदस्य भी हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार निश्चित रूप से उनकी शिकायत पर जांच करवायेगी और दोषीयों के खिलाफ कारवाई करेगी।

सानन की शिकायत के साथ ही जय राम सरकार ने 118 के दुरूपयोग की एक शिकायत पर पूर्व मुख्य सचिव राज्य चुनाव आयोग के अध्यक्ष पी मित्रा के खिलाफ 2010 में घटे एक मामले की पुनः जांच शुरू कर दी है जबकि इस मामले में विजिलैन्स ने एक समय क्लोज़र रिपोर्ट तक दायर कर दी थी। अब इस मामले में कुछ नये तथ्य सामने आने का दावा करके विजिलैन्स ने अदालत से क्लोजर रिपोर्ट वापिस लेकर नये सिरे से यह जांच शुरू की है। आरोप है कि उस दौरान धारा 118 के तहत भू खरीद की अनुमतियां देने के मामलों में पैसों का लेनदेन होता था। जांच के बाद यह आरोप कितना सही साबित होता है यह तो समय ही बतायेगा। लेकिन विजिलैन्स के सूत्रों के मुताबिक पैसों का लेनदेन शिमला के संकटमोचन के पास एक होटल में हुआ था। वहां से किसी के माध्यम से यह पैसा चण्डीगढ़ में किसी को भेजा गया था। शिमला से किसके माध्यम से यह पैसा भेजा गया उसका नाम पता विजिलैन्स को मालूम नही है। चण्डीगढ़ में जिसको दिया गया उसका भी नाम मालूम नही है। एक लाल गाड़ी में बैठे व्यक्ति को पैसा दिया गया। लेकिन इस गाड़ी का नम्बर तक विजिलैन्स को मालूम नही है लेकिन फिर भी विजिलैन्स पूरी गंभीरता से यह जांच कर रही है।

विजिलैन्स इस मामले के माध्यम से उस दौरान धारा 118 के तहत दी गयी अनुमतियों के मामलों को खंगाल रही है। ऐसे में उसी दौरान घटे आप्टिमा कंन्सट्रक्शन का मामला भी सामने आ जाता है। क्योंकि जब यह मामला प्रदेश विधानसभा में मुकेश अग्निहोत्री ने उठाया था तब तत्कालीन मुख्यमन्त्री प्रेम कुमार धूमल ने इस मामले की जांच करवाने का आश्वासन सदन में दिया था। लेकिन यह जांच आज तक नहीं हो पायी है। स्मरणीय है कि आप्टिमा कन्सट्रक्शन ने कसौली के एक गांव बनानी में 108 बीघे ज़मीन लेकर एक कॉलोनी का निर्माण किया था। लेकिन गांव के लोगों ने ग्रामीण अधिकार सुरक्षा संघर्ष समिति कसौली का गठन करके इसका विरोध किया था। ग्रामीणों का आरोप था कि इसके लिये हजारों पेड़ काट दिये गये हैं। इसलिये वन विभाग के एनओसी को लेकर एतराज उठाया गया था। आरोप था कि इसके लिये डीपीएफ के बिना उचित अनुमति के सड़क निकाल दी गयी है। इसी के साथ पानी को लेकर भी यह आरोप था इन्हें पानी भी गांव के स्त्रोत से ही दे दिया गया जबकि अलग स्त्रोत होना चाहिये था। इससे भी गंभीर आरोप यह था कि ग्रामीणों की अनुमति के बिना ही उनकी जमीन ले ली गयी। जबरदस्ती जमीन लेने का आरोप एक महिला रीना देवी ने वाकायदा शपथपत्र देकर लगाया था। रीना देवी का आरोप था कि उसकी पन्द्रह बीघे जमीन बिना उसकी अनुमति के ले ली गयी है जबकि वह स्वयं इसके बाद भूमिहीन हो जाती है। रीना देवी ने शपथपत्र के साथ यह शिकायत तत्कालीन मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर को दी थी।

उस समय यह आरोप लगाया था कि इस कॉलोनी के लिये ई सी मन्त्री को सूचित किये बिना ही सचिव के स्तर पर दे दिया गया था। यही नही सचिव ने अपने ही स्तर पर आधा दर्जन बिल्डरज को ई सी दे दिये थे। जबकि वह इसके लिये सक्षम नही थे। सूत्रों के मुताबिक यह ई सी देते हुए वह फाईल पर लिख देते थे कि मुख्यमन्त्री ने ऐसा चाहा है। स्मरणीय है कि 2014 में यह मामला बहुत चर्चित हो गया था। गौरतलब है कि उस समय सबंधित विभाग के सचिव यही दीपक सानन थे जिनकी शिकायत पर आज जयराम जांच करवा रहे हैं और उन्हे कुछ कमेटीयों का सरकार ने सदस्य बना दिया है। लेकिन उस दौरान टीसीपी के मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर के साथ विभाग के सचिव दीपक सानन की बिल्कुल नही बन रही थी। बल्कि महेन्द्र सिंह ने इसकी शिकायत धूमल से भी कर दी थी क्योंकि विधानसभा सत्र में भी सानन एक बार भी अपने मंत्री से नही मिले थे। ऐसे मे जब उस दौरान के 118 के मामलों की जांच की ही जा रही है तो इस प्रकरण में उस महिला रीना देवी की शिकायत की जांच भी हो जानी चाहिये जो उसने उस समय 13.12.2011 को वाकायदा शपथपत्र लगाकर मंत्री को दी थी। इस महिला की शिकायत है कि चर्चा विधानसभा तक में हुई थी लेकिन आवश्वासन के वाबजूद यह जांच हुई नही है।

इस परिदृश्य में यह गौरतलब है कि यदि जयराम सरकार और उसकी विजिलैन्स सही में बिना किसी निहित राजनीतिक स्वार्थ के धारा 118 के दुरूपयोग के मामलों की ईमानदारी से जांच करना चाहती है तो उसे इस संद्धर्भ में आज तक गठित हुए तीनों जांच आयोगों की रिपोर्ट पर कारवाई करनी चाहिये। स्मरणीय है कि इस बारे में सबसे पहले 1993 में वीरभद्र सिंह ने एस एस सिद्धु की अध्यक्षता में एक जांच बिठाई थी। इसके बाद सेवानिवृत जस्टिस रूप सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में दूसरी बार जांच बैठी। तीसरी बार जस्टिस डीपी सूद ने इस संद्धर्भ में जांच की। इन तीनों कमेटीयों में हजारों मामले 118 के दुरूपयोग के सामने आये हैं। कांगड़ा के पालमपुर में 464 बीघे का चाय बागीचा दिल्ली निवास फैजमुर्तजा अली द्वारा खरीदा जाना चर्चा का विषय रहा है। यही नही जुलाई 2007 से 29 दिसम्बर 2007 के बीच 118 की 97 अनुमतियां दी गयी। इनमें अनुमति पाने वाले तीन आईएएस अधिकारी भी शामिल हैं। इन सारी अनुमतियों में 118 के प्रावधानों की उल्लंघना के गंभीर आरोप हैं। जस्टिस डीपी सूद आयोग ने 42 बिल्डरों की जमीनें जब्त करने की सिफारिश की थी। एक बिल्डर अग्रवाल पर यह आरोप है कि उसने LRXV में केवल 336 पेड़ दिखाये हैं जबकि हजारों की संख्या में पेड़ काटे गये है। सूद आयोग ने बिल्डरों को नोटिस भेजे थे लेकिन यह लोग एक बार भी आयोग के सामने न तो पेश हुए और न ही नोटिस का जवाब तक दिया है। इसलिये जब जयराम सरकार सानन की शिकायत पर विजिलैन्स से जांच करवा रही है तब सरकार की ईमानदारी और निष्पक्षता का यह तकाजा रहेगा कि सरकार

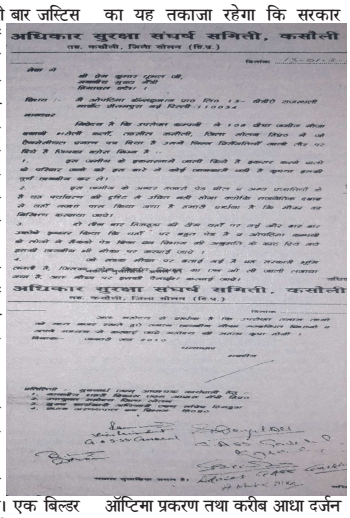

ऑप्टिमा प्रकरण तथा करीब आधा दर्जन बिल्डरों को सचिव स्तर पर ई सी जारी किये जाने की भी जांच करवाये। सानन को दी गई स्टडीलीव और उसके द्वारा ली गयी टी डी पर भी सरकार की चुप्पी को लेकर सवाल उठने शुरू हो गये हैं। क्योंकि सूत्रों के मुताबिक इन मामलों की शिकायत भी विजिलैन्स के पास पंहुच चुकी है।

सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के परिदृश्य में बिन्दल मामले पर उभरे संदेह

शिमला/शैल। जयराम सरकार ने विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ डेढ़ दशक से चल रहे अपराधिक मामले को वापिस लेने के सीआरपीसी धारा 321 के तहत अदालत में आवेदन दायर किया है। इस आवेदन पर 29 सितम्बर को विचार होने की संभावना है। इस मामले में यह आवेदन उस समय आया है जबकि यह मामला फैसले के कगार पर पहुंचा हुआ है। क्योंकि इसमें अभियोजन पक्ष की सारी गवाहीयां हो चुकी हैं। केवल नामजद अभियुक्तों का 313 में अपना ब्यान होना ही बाकि बचा है। इस ब्यान के बाद बहस और फिर फैसले की स्टेज आयेगी। कुल मिलाकर अदालत का इसमें चार/पांच दिन का और समय लगेगा। जबकि अब तक महीनों के हिसाब से इसमें अदालत का समय लग चुका है। ऐसे में इस स्टेज पर यह तर्क आना कि इस मामले को चलाये रखने से अदालत का समय ही नष्ट होगा कोई ज्यादा व्यवहारिक नही लगता।

इस मामले में बिन्दल के साथ दो दर्जन से अधिक और अभियुक्त भी हैं। लेकिन सरकार केवल बिन्दल का ही मामला वापिस ले रही है अन्य अभियुक्तों का नही। इसकों लेकर भी सरकार की मंशा पर सवाल उठने लग पड़े हैं। क्योंकि यह सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार यह मानती है कि अन्य अभियुक्त बिन्दल के बिना भी यह अपराध कर सकते थे। वैसे तो कानून के जानकारों के मुताबिक यदि बिन्दल का मामला वापिस हो जाता है तो अन्य अभियुक्तों के खिलाफ भी मामला स्वतः ही कमज़ोर हो जायेगा। क्योंकि इसमें बिन्दल की भूमिका ज्यादा मानी जा रही है।

ऐसे में अब अदालत पर लोगों की निगाहें लगी है कि क्या अदालत मामला वापिस लेने के आग्रह को स्वीकार कर लेती है या नही। क्योंकि प्रदेश उच्च न्यायालय में जुलाई 2016 में कैप्टन राम सिंह के मामले में निचली अदालत द्वारा धारा 321 में आये आवेदन को स्वीकार करने के फैसले को पलट चुकी है।

अभी 13 सितम्बर को सर्वोच्च न्यायालय की प्रधान न्यायधीश, दीपक मिश्रा और जस्टिस डी वाई चन्द्रचूड़ की पीठ का फैसला आया है। इसमें 321 पर विस्तार से चर्चा करने के बाद अदालत ने यह कहा है कि We are compelled to recapitulate that there are frivolous litigations but that does not mean that there are no innocent sufferers who eagerly wait for justice to be done. That apart, certain criminal offences destroy the social fabric. Every citizen gets involved in a way to respond to it; and that is why the power is conferred on the Public Prosecutor and the real duty is cast on him/her. He/she has to act with responsibility. He/she is not to be totally guided by the instructions of the Government but is required to assist the Court; and the Court is duty bound to see the precedents and pass appropriate orders.

In the case at hand, as the aforestated exercise has not been done, we are compelled to set aside the order passed by the High Court and that of the learned Chief Judicial Magistrate and remit the matter to the file of the Chief Judicial Magistrate to reconsider the application in accordance with law and we so direct.

The appeal is, accordingly, allowed.

सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले के परिदृश्य में यह महत्वपूर्ण होगा कि अदालत 321 में आये आवेदन को स्वीकार करती है या नही। लेकिन सरकार के इस फैसले से भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार के दावों पर गंभीर प्रश्नचिन्ह अवश्य लग जाता है।